खण्ड-397, अंक-2
शुक्रवार, 8 आषाढ़, शक संवत् 1912
(29 जून, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1–2
प्रश्नोत्तर (प्रश्न उत्तरित माने गये)	..	3–61
भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को आगरा के पनवारी ग्राम में प्रवेश न करने देने तथा पत्रकारों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	..	61–62
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एव आवश्यक वस्तु निगम के मुख्यालय पर कार्यरत कतिपय कर्मचारियों के द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	62–63
जनपद पिथौरागढ़ के टनकपुर शहर में बिजली संकट दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	63–64
जनपद बदायूं में हुये दंगे से पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना	..	64–65
जनपद मिर्जापुर में बड़े उद्योग लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	64–65
जनपद मेरठ में पुलिस द्वारा श्री राजेश के लापता होने के मामले में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	65
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर टाउन एरिया में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	..	65–66
वाराणसी जनपद को आराजी लाइन्स ब्लाक में जी0 टी0 रोड से बंशीपुर अषाढ़, बहेरवा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	66
उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियमावली, 1990 (सदन के पटल पर रखी गयी)		66
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	66–67
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–1975/ग्यारह–90–11(8)–80 यू0 पी0 एक्ट 15–48, आदेश संख्या 90, दिनांक 31 मार्च, 1990 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	67

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि0क0-2-191/ ग्यारह-6(9) 83 उ0 प्र0 अधि0 15-48, आदेश संख्या 90, दिनांक 1 फरवरी, 1990 (सदन के पटल पर रखी गयी)..	67
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि0 क0-2-192/ ग्यारह-6(9)/83 उ0 प्र0 अधि0 15-48 आदेश-90, दिनांक 1 फरवरी, 1990 (सदन केपटल पर रखी गयी) ..	67
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (दसवां संशोधन) विनियम 1990 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	68
महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की के वर्ष 1986-87 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा परिक्षित रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1986-87 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	68
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1990 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त होने की सूचना) ..	68
भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को आगरा के पनवारी ग्राम में प्रवेश न करने देने तथा पत्रकारों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	68-71
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	71-72
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 41--पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या 87--सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा अनुदान संख्या 90--सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	72
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित)	72-74
परिशिष्ट ..	75-82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अख्तर, श्री	(गाजियाबाद)
अनवार मोहम्मद खां, श्री	(फर्रुखाबाद)
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	(इलाहाबाद)
अमीर आलम खां, श्री	(मुजफ्फरनगर)
अरविन्द कुमार, श्री	(ललितपुर)
अरिदमन सिंह, श्री	(आगरा)
अशोक कुमार सिंह, श्री	(उन्नाव)
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	(बुलन्दशहर)
ओम प्रकाश, श्री	(गोरखपुर)
कमाल अहमद रिजवी, श्री	(खीरी)
कल्याण सिंह, श्री	(अलीगढ़)
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	(हरिद्वार)
किरनपाल सिंह, श्री	(बुलन्दशहर)
किशन गोपाल, श्री	(आगरा)
के0 एस0 तड़ागी, श्री	(नैनीताल)
किशोरी श्याम, श्री	(मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री	(हरदोई)
गजराज सिंह, श्री	(गाजियाबाद)
गणेश दीक्षित, श्री	(कानपुर)
गुलाब सिंह, श्री	(मिर्जापुर)
गोपाल रामदास, श्री	(अल्मोड़ा)
गोमती यादव, श्री	(आजमगढ़)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	(वाराणसी)
जफर अली नकवी, श्री	(खीरी)
जयशंकर पाण्डेय, श्री	(फैजाबाद)
जय सिंह यादव, श्री	(प्रतापगढ़)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	(अल्मोड़ा)
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	(मथुरा)
तेजपाल, श्री	(बिजनौर)
दयाशंकर, श्री	(वाराणसी)
धर्मवीर सिंह बलियान, श्री	(मुजफ्फरनगर)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	(हरदोई)
नारायण दत्त तिवारी, श्री	(नैनीताल)
निहाला सिंह, श्री	(वाराणसी)
परमाई लाल, श्री	(हरदोई)
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	(बरेली)
बलराम यादव, श्री	(आजमगढ़)
बहादुर सिंह, श्री	(आगरा)
बृजेन्द्र सिंह, श्री	(अलीगढ़)
भारत सिंह रावत, श्री	(गढ़वाल)
भूधर नारायण मिश्र, श्री	(कानपुर)
मंत्री प्रसाद नैथानी श्री	(टिहरी गढ़वाल)
मण्डलेश्वर, श्री	(आगरा)
महाराज सिंह यादव, श्री	(इटावा)
मुंशी लाल, श्री	(इटावा)
मुस्तफा अली खां, श्री	(मथुरा)
मोहम्मद असलम खां, श्री	(सहारनपुर)
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	(बुलन्दशहर)
राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	(गाजीपुर)
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां श्री	(सीतापुर)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	(सीतापुर)
राजेश्वर बंसल, श्री	(मुजफ्फरनगर)

राम तेज, श्री	(बहराइच)
रामपाल वर्मा, श्री	(हरदोई)
राम बचन बुसिया, श्री	(बलिया)
राम सरन सिंह, श्री	(अलीगढ़)
राम सिंह सैनी, श्री	(हरिद्वार)
राम स्वरूप वर्मा, श्री	(कानपुर)
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	(गोण्डा)
रियाज अहमद, श्री	(पीलीभीत)
रेशमा आरिफ, श्रीमती	(कानपुर)
विजय सिंह राणा, श्री	(आगरा)
विपिन बिहारी, श्री	(हरदोई)
बिशुन दयाल, श्री	(बहराइच)
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	(एटा)
वीरेन्द्र सिंह, श्री	(मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री	(हरिद्वार)
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	(मुरादाबाद)
शारदा प्रसाद रावत, श्री	(गोरखपुर)
शिव कुमार बेरिया, श्री	(कानपुर)
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	(गोरखपुर)
शिवराज सिंह चौहान, श्री	(मैनपुरी)
शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री	(जालौन)
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री	(उन्नाव)
सत्य प्रकाश विकल, श्री	(आगरा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	(गाजियाबाद)
सुबास, श्री	(मऊ)
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री	(गाजियबाद)
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	(अलीगढ़)
शेख मो0 सुलेमान, श्री	(बिजनौर)
स्वामी नाथ, श्री	(देवरिया)
हर नारायन सिंह, श्री	(रायबरेली)
हर फूल सिंह, श्री	(सहारनपुर
हरिवंश कपूर, श्री	(देहरादून)

[शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 1990

(अल्प सूचित तारांकित प्रश्न)

(अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के लिए श्री राजकिशोर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सूखा के कारण पेयजल के बढ़ते हुए संकट के स्थाई निवारण हेतु नयी योजना की रूप रेखा

**1--श्री राज किशोर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सूखा के कारण हर वर्ष पेयजल के बहते हुए संकट के स्थायी निवारण के लिए कोई नयी योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

नगर विकास मन्त्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)--

जी नहीं ।

ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है । पिछले वर्षों में सूखा राहत सम्बन्धी कार्य किये गये किन्तु पर्याप्त नहीं रहे वर्तमान वर्ष व गत वित्तीय वर्ष 1989-90 में पेयजल की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 1989-90 व 1990-91 में सूखा राहत कार्यों के अन्तर्गत विशेष अनुदान की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है ।

वर्तमान सरकार प्रदेश की पेयजल समस्या का निदान 5 वर्षों में पूर्ण कराने का प्रयास कर रही है ।

उपर्युक्तानुसार ।

गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली हरिजन तथा वनवासी बस्तियों में पेयजल की सरकार की योजना

**2--श्री खुर्शीद --

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली हरिजन तथा वनवासी बस्तियों में पेयजल संकट को दूर करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका कार्यान्वयन कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी नहीं । ऐसा कोई योजना नहीं बनायी गयी है ।

वास्तव में विषयगत विधान सभा क्षेत्र के 345 गांवों में से 281 गांव पेयजल सुविधा से लाभान्वित हैं जिनमें से 198 गांवों में 581 हैण्ड पम्प लगे हैं । 83 गांव पाइप लाइन से तथा 14 गांव हैण्ड पम्प व पाइप लाइन दोनों से लाभान्वित हैं ।

टिप्पणी--प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

शासन के नीति के अनुसार जिस गांव में एक हैण्ड पम्प लगा है वह हरिजन बस्ती में ही लगाया गया है तथा जहां एक से अधिक हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वहां कम से कम एक हैण्ड पम्प हरिजन बस्ती में अवश्य लगाया गया है ।

विषयगत विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (वनवासी) की कोई आबादी नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*1—श्री सत्य प्रकाश विकल—

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

प्रदेश के हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की नीति

*2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कर रही है और इसकी निश्चित व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ? क्या रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार सेवा निवृत्ति की आयु घटा कर 55 वर्ष करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्रम मन्त्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

प्रदेश सरकार के पास इस समय कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है जिसके तहत हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा सके । किन्तु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराय जाने के उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः रोजगार योजना एवं ग्रामीण अंचलों के लिए जवाहर रोजगार योजना चलायी जाती है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार हेतु अभ्यर्थियों को पंजीयन की सुविधा है । सेवायोजकों से मांग आने पर उनकी योग्यतानुसार इनके नाम भेजे जाते हैं । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों तथा शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से भी विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिलाकर उनकी सेवायोजकता बढ़ाई जाती है ताकि उन्हें रोजगार मिलने में सहायता प्राप्त हो सके । वर्तमान में शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कोई नई योजना चलाना फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं ।

जनपद मिर्जापुर के नगर व ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश कुओं का पानी सूख जाने से पेयजल समस्या के निदान का सरकार का प्रयास

*3—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर एवं मिर्जापुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश कुओं के सूख जाने से वहां पेयजल का अभाव हो गया है ? यदि हां, तो मिर्जापुर जनपद में पेयजल की गम्भीर समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

पेयजल का संकट उत्पन्न नहीं है, परन्तु कुओं का जल स्तर गिर जाने से पेयजल की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा है। मिर्जापुर नगर में पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु 50 लाख रु0 की योजना के अन्तर्गत पुराने नलकूपों का विकास, उन पर नये पम्प लगाने, क्लोरीनेटर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक अवर जलाशय का कार्य निर्माणाधीन है नलकूपों के पुनर्विकास से उपलब्ध जल में 5·4 एम0 एल0 डी0 की वृद्धि हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 50 लाख रु0 का एक अन्य योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन है तथा 70 लाख रुपये की योजना का विरचन किया जा रहा है जिसमें जल वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, नई पाइप लाइन आदि का कार्य सम्मिलित है। नगर में अब तक 215 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प भी लगाये जा चुके हैं।

जनपद के कुल 1698 ग्रामों में से 1674 ग्रामों को पाइप/हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल सुविधा प्रदान कर दी गई है। जनपद में अब तक 5588 हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क-2 स्थापित हो चुके हैं। शेष ग्रामों को वर्ष 1990-91 में हैण्ड पम्प से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ के त्रिवेणी नगर वार्ड में जल निकासी तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु योजना

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि त्रिवेणीनगर वार्ड लखनऊ के जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु नगर महापालिका, लखनऊ की कोई योजना आगणन सहित नगर विकास अनु0 10 को मार्च, 1989 में जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से मिली है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? योजना की स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति कब तक हो जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां।

सीतापुर रोड के पश्चिम में गोमती नदी के बायें तट बांध के बीच का भाग जिसमें त्रिवेणी नगर क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र की जल निकासी सम्बन्धी योजना है।

चूंकि ऐसी योजनाओं के लिये आय-व्ययक में कोई प्राविधान उपलब्ध नहीं है, अतः कोई धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं है।

लखनऊ कानपुर रोड पर बाराबिरवा से सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मार्ग पर जल निकासी हेतु सीवर लाइन का डाला जाना

*2--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कानपुर रोड पर बाराबिरवा से सुभाषनगर (भोला-खेड़ा) मार्ग पर जल निकासी हेतु सीवर लाईन डालने के सम्बन्ध में तत्कालीन राज्य मंत्री, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रश्नकर्ता को

अर्थ0 पत्र संख्या 5323/9-10--85-84 एक्यू-85 नगर विकास अनुभाग-10, दि0 23-11-85 द्वारा सूचित किया था कि मुख्य लाईन बन जाने पर उक्त मार्ग पर भी सीवर लाईन डाली जायेगी ? क्या यह सही है कि कानपुर रोड पर जल निकासी हेतु बड़ा नाला बनाया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर शीघ्र ड्रेनेज का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं । उक्त पत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि आलमबाग क्षेत्र को सीवरेज स्कीम बनाने के समय सम्बन्धित सीवर लाईन को भी इसी में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र में सीवर लाईन नहीं है और न इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ।

जी हां । कार्य प्रगति पर है ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 1989 में की गयी जलकर वृद्धि को वापस लिए जाने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा विचार किए जाने की मांग

*3—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व सरकार ने माह सितम्बर, अक्तूबर, 1989 में जलकर में जो चार गुना वृद्धी की थी उसे वर्तमान सरकार वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि लखनऊ नगर में प्रदेश के अन्य नगरों से अधिक जलकर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सितम्बर, अक्तूबर, 1989 में जलकर में कोई वृद्धि नहीं की गई है । वर्ष 1985-87 में कवाल नगरों व कुछ अन्य नगरों में जलकर में मामूली वृद्धि की गयी थी जो चार गुना नहीं थी । जल संस्थानों व जलकर विभागों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जलकर में की गई वृद्धि को वापस लेना सम्भव नहीं है ।

महानगरों में लगे कर से लखनऊ में लगा कर सबसे कम लेकिन कुछ नगरों से अधिक है ।

लखनऊ जल संस्थान में आय के सीमित साधनों तथा विश्व बैंक की शर्तों के अनुसार सहायता प्राप्त करने के लिए उक्त वृद्धि अपरिहार्य परिस्थितियों में करनी पड़ी ।

[शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 1990 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय में शिक्षित एवं कुशल बेरोजगारों की पंजीकृत संख्या

*1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1990 तक उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षित व कितने कुशल बेरोजगार सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं ? इनको रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शासन क्या योजना बना रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

सेवायोजन कार्यालयों में शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के विषय में अर्द्धवार्षिक (जून/दिसम्बर) एवं कुशल बेरोजगार अभ्यर्थियों के विषय में वार्षिक (दिसम्बर) आधार पर सूचना संकलित की जाती है । उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31 दिसम्बर, 1989 की इस प्रकार के 1971605 शिक्षित एवं 227634 कुशल बेरोजगार पंजीकृत थे । श्रम विभाग के अधीन कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के नाम विभिन्न विभागों से मांगे जाने पर उनकी योग्यतानुसार भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों तथा शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिलाकर उनकी सेवायोजकता बढ़ायी जाती है ताकि उन्हें रोजगार मिलने में सहायता प्राप्त हो सके । शिक्षित बेरोजगारों के लिए शासन के उद्योग विभाग द्वारा स्वतः रोजगार योजना चलायी जाती है । इसके अतिरिक्त शासन के कई विभागों द्वारा स्वतः रोजगार योजनायें चलायी जाती हैं ।

वर्तमान में शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये कोई नई योजना चलाना फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

काशी नगरी को धार्मिक क्षेत्र घोषित करने की मांग

*2--श्री श्याम देव राय चौधरी दादा--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: काशी नगरी को "धार्मिक क्षेत्र" घोषित करने सम्बन्धी वाराणसी महापालिका द्वारा पारित एक संकल्प सं0-80, दिनांक 14 दिसम्बर, 1989, उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यह कब तक लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[दिनांक 22 जून, 1990 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित ।]

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी के व्यवसाय को बढ़ावा

श्री कुंवर सिंह नेगी--

*4--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता एवं पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों का पर्वतीय क्षेत्र में कृषि एवं बागबानी को लाभप्रद व्यवसाय बनाये जाने विषयक दिनांक 15 जनवरी, 1990 का ज्ञापन प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसके मुख्य बिन्दु क्या हैं ? शासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बरफिया लाल जुवांठा)--

जी हां ।

उसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :--

1--सभी नकदी फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना आवश्यक है ।

2--सभी नकदी फसलों के मण्डारण, विपणन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी हिमांचल प्रदेश की भांति सरकार अपने हाथों में ले तथा इनपर आधारित उद्योगों की इन क्षेत्रों में स्थापना करें ।

3--खेत से रेल हेड तक नकदी फसलों के ढुलान पर ट्रांसपोर्ट सब्सीडी दी जाने की व्यवस्था की जाये ।

4--कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में कम आयतन एवं कम भार की तथा अधिक कीमत देने वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाये तथा बीज प्रमाणीकरण की योजनाओं को व्यापक पैमाने पर लागू किया जाना चाहिये ।

5--नकदी फसल उत्पादक क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर मोटर मार्गों से जोड़ा जाये ।

6--चकबन्दी योजना लागू की जाये ।

7--पर्वतीय क्षेत्र में परम्परागत खेती के तौर-तरीकों को बदलकर आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से कृषि एवं बागवानी की व्यवस्था की जाये ।

पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाले फलों में सेब प्रमुख फल है । "सी" एवं "डी" निम्न श्रेणी के सेबों का उचित मूल्य फलोत्पादकों को नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए वित्तीय वर्ष 1988-89 से सेब का समर्थन मूल्य निर्धारित करके शासन द्वारा मूल्य समर्थन योजना संचालित की जा रही है । इस वर्ष विगत वर्ष के रु0 1·50 से बढ़ कर रु02·25 पै0 प्रति किलो सेब समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है । सोयाबीन का समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया जाता है और समर्थन मूल्य से भी ऊपर बाजार भाव पर सोयाबीन के क्रय की व्यवस्था की गई है । पर्वतीय क्षेत्र में अन्य नगदी फसलों एवं फलों की लागत एवं प्राप्त मूल्यों की समीक्षा करके उनके समर्थन मूल्य के निर्धारण की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है । हिमांचल प्रदेश में फलों एवं नकदी फसलों के विपणन के दायित्व का निर्वहन एच0 पी0 एम0 सी0 द्वारा किया जाता है, सीधे सरकार द्वारा नहीं । प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय फलों एवं नकदी फसलों का विपणन कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम, पी0 सी0 एफ0 तथा फ्रूट फेड द्वारा किया जा रहा है । आवश्यकतानुसार अन्य नकदी फसलों एवं फलों के विपणन का कार्य भी इन्हीं संस्थाओं से कराया जाना प्रस्तावित है । इन संस्थाओं की विपणन क्षमता में वृद्धि करके इनको सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं । सोयाबीन का प्रसंस्करण हल्द्वानी (नैनीताल) में तथा फलों के प्रसंस्करण के लिए रामगढ़ (नैनीताल) में प्रसंस्करण इकाईयां पूर्व में स्थापित है । निजी क्षेत्र में फलों एवं नकदी फसलों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु शासकीय नीति के अनुसार प्रोत्साहन दिया जायगा । सेब की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उद्यान से रोड हैड तक 50 प्रतिशत एवं रोड हेड से रेल हेड तक शत-प्रतिशत परिवहन राज सहायता की व्यवस्था की गई है । अन्य शीघ्र नश्वर फलों एवं नकदी फसलों जिनके उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, के समर्थन मूल्य निर्धारण एवं उनपर परिवहन राज सहायता दिये जाने पर आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा । कृषि एवं औद्यानिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम आयतन एवं भार तथा अत्यधिक मूल्य-दायी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा बीज प्रमाणीकरण योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ाने की शासकीय नीति के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

मोटर मार्गों से सम्बद्ध क्षेत्रों में नकदी फसलों विशेषतया गैर मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ऐसे क्षेत्र, जहां गैर मौसमी सब्जियां आदि नकदी फसलें पहले से ही उत्पादित की जा रही हैं, उन्हें भी उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत मोटर मार्गों से सम्बद्ध किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी योजना को प्रारम्भ में प्रयोग के तौर पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में चरण बद्ध रूप से लागू किये जाने का प्रस्ताव है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं औद्यानिकी पद्धति को वैज्ञानिक आधार पर विकसित करने तथा प्रयोगशाला से खेती तक नव-विकसित तकनीक को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

बालविकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 तथा वर्ष 1989-90 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया गेहूं

*5—श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री मंजूर अहमद--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा गेहूं पर आधारित पुष्टाहार योजना में भारत सरकार द्वारा कितना गेहूं वर्ष 1988-89 व वर्ष 1989-90 में आवंटित किया गया था ? क्या निदेशालय को आवंटित गेहूं का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आवंटित गेहूं का पूर्ण उपयोग न करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

वर्ष 1988-89 में 9500 मीट्रिक टन एवं वर्ष 1989-90 में 4225 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन प्राप्त हुआ था ।

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा विवादित मामले को आर्बिट्रेशन को सौंपा जाने के कारण आपूर्ति अवरुद्ध रही जिसके कारण आवंटित गेहूं का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा स्थित वाटर वर्क्स में कथित घटिया रासायनिक पदार्थ के मिलाने के कारण दूषित पेय जल पूर्ति और उससे नागरिकों पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव

*6—श्री बदन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर में स्थित वाटर वर्क्स में जल शुद्धि के लिए घटिया किस्म के रासायनिक पदार्थ प्रयोग में लाने के कारण अशुद्ध व दूषित पेय जलापूर्ति से आगरा के नागरिक विभिन्न रोगों से प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो आगरा नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं । आगरा जल संस्थान द्वारा मानक फर्मों से निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप ही रसायनों की आपूर्ति ली गई है तथा आवश्यकतानुसार कच्चे जल में रसायनों को मिलाकर प्रयोगशाला में परीक्षण कराकर पानी को पीने योग्य पाये जाने पर ही शहर में सप्लाई किया जाता है । अशुद्ध व दूषित पेयजल की आपूर्ति से आगरा शहर में किसी भी रोग से प्रभावित होने की सामान्यतः शिकायत नहीं है ।

जनपद अलीगढ़ की नगर पालिका अतरौली की पेयजल योजना हेतु देय धनराशि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

*7—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1980 में नगरपालिका अतरौली, जिला अलीगढ़ को पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु प्रदत्त 27·73 लाख रुपये की धनराशि को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 का कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

प्रश्नगत ऋण को अनुदान के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ के माध्यम से अध्यक्ष, नगर पालिका, अतरौली को कतिपय सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे जो अभी तक प्रतीक्षित हैं । वांछित सूचनायें उपलब्ध हो जाने पर अग्रतर कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद शाहजहांपुर नगर की सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*8 -श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 6 मार्च, 1990 को प्रश्नकर्ता ने जो पत्र शाहजहांपुर नगर की सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए विशेष अनुदान की मांग के सम्बन्ध में दिया था, उस पर शासन ने क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

उक्त पत्र पर विचारोपरान्त उपलब्ध संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा नगरपालिका शाहजहांपुर को 1·50 लाख रु0 की धनराशि विशेष सड़क अनुदान के रूप में स्वीकृत कर दी गयी ।

जनपद वाराणसी में स्थित विद्युत् शवदाह गृह में अन्य जनपदों से अधिक शवदाह शुल्क का लिया जाना

*9—श्री अमरनाथ यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में स्थित विद्युत् शवदाह गृह में शव जलाने का शुल्क प्रदेश के अन्य जनपदों के विद्युत् शवदाहत

गृहों से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शुल्क को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

वाराणसी नगर में निर्धारित शुल्क लखनऊ और कानपुर के विद्युत शवदाह गृहों के शुल्क से अधिक है ।

विद्युत शवदाह गृहों में शुल्क सम्बन्धित निकायों द्वारा स्वतः निर्धारित किया जाता है ।

जी नहीं ।

विद्युत शवदाह गृह के रख-रखाव पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उक्त शुल्क को समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया कमेटियों में सचिव पद पर आरक्षण नीति के अनुसार अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*10--श्रीमती शारदा देवी--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया कमेटियों में सचिव के कुल कितने पद हैं और उनमें आरक्षण की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी नियुक्त हैं ? क्या उक्त पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो यह अब कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

सचिव के कुल 444 पद हैं । उक्त पदों में से 46 पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी कार्यरत हैं ।

जी नहीं । जैसे-जैसे सचिव के पद रिक्त होंगे उन रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों में से सचिव के पद पर नियुक्ति करके कोटा पूरा कर लिया जायेगा ।

वर्ष 1990-91 को सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाये जाने के क्रम में प्रदेश के बेरोजगार हरिजन नवयुवकों को जीवन निर्वाह हेतु भत्ता के रूप में सरकारी सहायता

*11--श्री राम लखन वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 को सामाजिक न्याय वर्ष मनाये जाने के क्रम में प्रदेश के बेरोजगार हरिजन नवयुवकों के जीवन निर्वाह हेतु सरकार भत्ता के रूप में प्रति माह सरकारी सहायता देने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक तथा इसकी प्रक्रिया क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी की कटेरा नगर क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का विवरण

*12--श्री रवीन्द्र शुक्ला--

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि झांसी जनपद में कटेरा नगर क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा विगत तीन वर्ष से धन उपलब्ध कराने के बाद भी न तो उस धन का उपयोग किया गया और न ही पेयजल की भीषण समस्या से निपटने के लिए कोई कदम ही उठाया गया ? यदि हां, तो इस हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जनपद झांसी की कटेरा नगर क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु वित्तीय वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 में क्रमशः 12 लाख रु0 3 लाख रु0 एवं 5 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई है । इस स्वीकृत योजना के प्रस्तावों के अनुसार जल श्रोत नलकूप हैं, काफी प्रयासों के बावजूद सर्वेक्षण के आधार पर दिये गये बिन्दुओं पर छिद्रण करने पर समुचित जल प्राप्त नहीं हो सका तथा अभी तक इस योजना के लिये जल श्रोत के विकास में सफलता न प्राप्त होने के कारण कोई कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो सका जिसके कारण विगत वर्षों में स्वीकृत की गई धनराशि का भी उपयोग नहीं किया जा सका । इस नगर क्षेत्र की भीषण पेयजल समस्या से निपटने के लिए अब तक 23 नग इंडिया मार्क-11 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । अतः इसमें किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं है और न ही उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी है ।

जनपद सोनभद्र की 13 गैर अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति मानना एवं उनके विकास हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय

*13--श्री विजय सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के 13 अघोषित जनजातियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि शासन स्तर से विशेष सचिव (चन्द्र कुमार शर्मा) द्वारा पत्र संख्या 2296/26-3-80-4(5)/80, दिनांक 29 अगस्त, 1980 द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें 13 अघोषित जनजातियों को प्रदेश के अन्य जनजातियों (थारू, भोक्सा, मोटिया, जोनसार, और राजी आदि) के समान सुविधायें देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसे लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जनपद सोनभद्र की 13 गैर अनुसूचित जनजाति भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति घोषित है । उनके आर्थिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पदेन जिला प्रबन्धक तथा अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) मिर्जापुर के माध्यम से कृषि, बागवानी एवं कुटीर उद्योग के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ।

जी हां ।

जी हां, लागू है ।

अल्मोड़ा जनपद के सुरम्य पर्यटन स्थल, दूनागिरी पर्वत पर जड़ी-बूटी शोध संस्थान खोलने की मांग

*14--श्रीमती सरस्वती तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के सुरम्य पर्यटन स्थल, दूनागिरी पर्वत पर जड़ी-बूटी शोध संस्थान खोलने हेतु 500 नाली भूमि 1952 से आरक्षित रखी गयी है ? यदि हां, तो संस्थान कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरकिया लाल जुवांठा--

अल्मोड़ा जनपद के ग्राम चरी, पट्टी दूनागिरी के खतौनी खाता संख्या-3 के दो खेत क्रमशः खेत नम्बर 961 म0 रकबा 224 नाली 13 मुट्ठी तथा खेत नम्बर 962 म0 रकबा 175 नाली 9 मुट्ठी भूमि कुल 400 नाली 6 मुट्ठी भूमि भारत सरकार के जडी-बूटी विभाग के नाम भूमिधरी में अंकित है । प्रश्नगत भूमि प्रदेश सरकार के जड़ीबूटी शोध संस्थान के नाम अंकित नहीं है ।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4353/28-8-89-8(41)/89, दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में एक जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । उक्त संस्थान का मुख्यालय गोपेश्वर (जनपद चमोली) में तथा एक शाखा दूनागिरि जनपद (अल्मोड़ा) में स्थापित किये जाने का निश्चय किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के कर्वी मऊ तहसीलों के अधिकांश गांवों का जल स्तर नीचा होने से पेय जल संकट के समाधान हेतु सरकार की व्यवस्था

*15--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी/मऊ तहसीलों में आधे से अधिक गांव के कुओं के पानी का स्तर विगत दो वर्षों से पानी के कम बरसने से नीचा हो गया है ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मन्त्री एवं शासन को पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1990 द्वारा अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो पेयजल संकट के समाधान की क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां । बांदा जनपद के कर्वी/मऊ तहसीलों के कतिपय ग्रामों में कुओं का पानी स्तर विगत दो वर्षों से पानी कम बरसने से नीचा हो गया है ।

उक्त विषय पर माननीय विधायक का पत्र दिनांक 2 फरवरी, 1990 प्राप्त हुआ है, न कि दिनांक 3 फरवरी, 1990 ।

यद्यपि पूर्व में भी इन तहसीलों के समस्त गांवों को पाइप डालकर अथवा हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की सुविधा दी गई थी परन्तु सूखे की स्थिति होने के कारण यह पर्याप्त नहीं थी । अतः विषयगत तहसीलों के गांवों में इस वर्ष सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 87 अतिरिक्त हैण्ड पम्प लगाये गये हैं तथा इस वर्ष अतिरिक्त स्वीकृत 162 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन प्रगति पर है ।

श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदारी देने हेतु वर्तमान में लागू योजना

*16--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदारी देने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरी योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी देने हेतु वर्तमान में जो योजना लागू है उससे सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 18 नवम्बर, 1989 की एक प्रति संलग्न है ।†

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला झांसी बिधान सभा क्षेत्र मऊ रानीपुर में पेयजल संकट से निपटने हेतु मानक के अनुसार 250 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प की मांग

*17--श्री प्रागीलाल अहिरवार--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी विधान सभा क्षे मऊ रानीपुर में पेयजल संकट समस्या को हल करने के लिए 250 व्यक्तियों पर ए? हैण्ड पम्प के मानक अनुसार बर्तमान आबादी के आधार पर हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे क यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

विधान सभा क्षेत्र मऊ रानीपुर के 165 आबाद राजस्व ग्रामों में से 34 पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित है तथा सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत इनमें 98 हैण्ड पम्प भी अधिष्ठापित किये गये हैं । 131 ग्रामों में वर्ष 1972/1985 के सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित मानक के अनुसार 848 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । 3 गांवों में हैण्ड पम्प सफल नहीं हैं ।

250 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प के मानक के अनुसार विद्यमान क्षेत्र में 82 और हैण्ड पम्प की आवश्यकता है ।

धन की उपलब्धता के अनुसार लगाये जायेंगे ।

उपरोक्तानुसार ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सफाई, सुरक्षा, किचेन, लान्ड्री, वार्डब्वाय, आया इत्यादि नियमित कार्यों को सक्षम अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किये बगैर ठेका श्रमिकों से कराया जाना

*18--श्री रवीन्द्र कुमार सिंह--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सफाई, सुरक्षा, किचेन, लान्ड्री, वार्डब्वाय, आया इत्यादि के नियमित कार्यों को सक्षम अधिकारी से लाइसेन्स एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बगैर ठेका श्रमिकों से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 कान्ट्रेक्ट लेबर रूल्स, 1975 के तहत प्रमुख नियोक्ता तथा ठीकेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[भाषा नहीं दिया ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

सम्बन्धित संस्थान में सेवायोजकों द्वारा सफाई, सुरक्षा, किचन, लान्ड्री, वार्डब्वाय, आया के कार्यों के लिये ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारी रखने के बारे में सरकार को जानकारी है । ऐसा करने के लिये रजिस्ट्रेशन हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संस्थान ने उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ के समक्ष प्रार्थना-पत्र दे रखा है । यह मामला उनके समक्ष चल रहा है । इसलिए इस संस्थान के विरुद्ध फिलहाल किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में शहर की घनी आबादी में बसी वेश्याओं को शहर के बाहर पुनर्वासित किये जाने की मांग

*19--श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहर की घनी आबादी में बसी वेश्याओं को शहर से अलग पुनर्वासित किए जाने हेतु सरकार के पास कोई कार्यक्रम है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार अधिनियम एवं नियमावली, 1961 के अधीन कार्यवाही की जाती है । इनमें वेश्याओं को शहर से बाहर अलग बसाए जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

भूतपूर्व सैनिकों को जे0 सी0 ओ0 श्रेणी के व्यक्तियों को राजकीय सेवा में लिये जाने हेतु नये पद सृजित किये जाने की मांग

*20--श्री शिवकरन सिंह--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को जे0 सी0 ओ0 श्रेणी के व्यक्तियों को राजकीय सेवा में लिए जाने के लिए नये पदों को सृजित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में ऐसी आवश्यकता नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

बांदा जनपद में मटौध (देहात) में पेयजल की समस्या

1—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा जनपद में मटौध जल समूह में मटौध (देहात) के अन्तर्गत पेयजल टंकी में पानी न चढ़ने से पेयजल की कठिनाई है ? यदि हां, तो मौजूदा संकट के निवारण के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक उक्त व्यवस्था हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं मटौध (देहात) ग्राम के लिए पानी की कोई टंकी नहीं है ।

आवश्यकता नहीं है ।

पेयजल संकट के निवारण हेतु ग्राम मटौध (देहात) 24 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प से लाभान्वित है । जो इस ग्राम की जनसंख्या के लिए पर्याप्त है ।

उपरोक्तानुसार ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संवासी गृहों में प्रति संवासी पर होने वाले व्यय को बढ़ाने की योजना

2—श्री राज किशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संवासी गृहों में प्रतिमाह प्रति संवासी पर होने वाले व्यय को बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत संचालित विभागीय गृहों के संवासियों के भरण–पोषण पर होने वाले प्रति संवासी पर प्रतिमाह व्यय में वृद्धि की गयी है । शेष गृहों के लिये वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में व्यय की धनराशि में वृद्धि नहीं की जा सकी है ।

जनपद देहरादून के वीरभद्र कस्बे को टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया बनाने की सरकार की घोषणा

3—श्री रणजीत सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के वीरेन्द्र कस्बे को टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया बनाये जाने की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो कब ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नोटीफाइड एरिया बनाने की घोषणा दिनांक 25 अगस्त, 1977 को की गयी है ।

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू किया जाना

4—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कर दी गयी ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की गयी है ? अभी तक प्रदेश में

उक्त योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराई जा चुकी है ? क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि जनपद ललितपुर में उक्त योजना के अन्तर्गत एक भी व्यक्ति को वृद्धावस्था पशन नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो यह कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना माह दिसम्बर, 1957 से लागू है ।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिनांक 30 अप्रैल, 1990 तक 1,59,048 पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

जनपद ललितपुर में उक्त योजना के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1990 तक 519 पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में मोहान रोड लखनऊ में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में कार्यरत उपाधीक्षिका तथा वर्तमान परिचारिका के स्थानान्तरण को मांग

5—श्री मयंकर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी हैं कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मोहन रोड लखनऊ में कार्यरत उपाधीक्षिका तथा वर्तमान परिचायिक (श्रीमती वर्मा) पिछले पन्द्रह साल से इसी संस्था में तैनात हैं जबकि इनके कार्य काल-वर्ष 1981 में कई छात्राओं के संक्रामक रोग से मरने की घटना हो चुकी है ? इन के में कर्मचारियों के स्थानान्तरण कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद—

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मोहन रोड लखनऊ में उपाधीक्षिका का पद स्वीकृत नहीं है बल्कि प्रसार अध्यापक/सहायक अधीक्षिका का पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी को विद्यालय में नियुक्ति की तिथि दिनांक 30 अक्तूबर, 1974 है । राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मोहन रोड लखनऊ में श्रीमती वर्मा नाम की कोई परिचायिका वर्तमान में कार्यरत नहीं है । गत वर्षों में विद्यालय में नर्स/कम्पाउन्डर (अप्रशिक्षित) श्रीमती सरोजनी वर्मा इस विद्यालय में कार्यरत थी उनका स्थानान्तरण वर्ष 1989-90 में हो चुका है ।

चूंकि प्रसार अध्यापक/सहायक अधीक्षिका का एक मात्र पद राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मोहन रोड लखनऊ में स्वीकृत है । अतः इस पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्यत्र सम्भव नहीं है ।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी के अन्तर्गत पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जिला प्रशासन/शासन से मांग

6—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरनी के अन्तर्गत पेयजल की भीषण कठिनाई को देखते हुये प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान की उपस्थिति में

कुओं के जल के स्तर की जानकारी कराकर उनकी सफाई (यदि आवश्यक हुई) जिला प्रशासन अथवा शासन द्वारा धन देकर कराई जायेगी ताकि पेयजल समस्या का निराकरण हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर लगातार नीचे गिरने की शिकायत है । जवाहर रोजगार योजना में समस्त ग्राम सभाओं को धन दिया जा रहा है और गांव सभायें उक्त दी गयी धनराशि में से 10 प्रतिशत गांव की सम्पत्तियों के रख-रखाव पर व्यय कर सकती है जिसमें कुओं की सफाई का कार्य भी सम्मिलित है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान का भुगतान

7--श्री खुर्शीद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989-90 में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किन-किन संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है ? क्या कुछ ऐसी भी संस्थायें हैं जिनका अनुदान स्वीकृत किया गया ? लेकिन आहरण कर भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं को कोई अनुदान नहीं दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के निदेशालय द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में क्रय किये जाने वाले गेहूं की फर्म से संविदा

8—श्री खुर्शीद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में गेहूं पर आधारित पुष्टाहार योजना का कार्यक्रम संचालित है ? यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में निदेशालय द्वारा किन-किन फर्मों से संविदा की गयी है ? क्या सम्बन्धित फर्म पुष्टाहार की आपूर्ति कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त योजना का गेहूं फर्म के पास है, लेकिन उससे आपूर्ति नहीं करायी जा रही ? यदि हां, तो उक्त फर्म से आपूर्ति न कराये जाने का क्या कारण है ? इसमें मुख्यतः दोषी अधिकारी कौन है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

वर्ष 1990-91 में अभी तक किसी फर्म से संविदा नहीं की गयी है । अतः उसके द्वारा आपूर्ति किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गत वर्ष के सम्बन्धित फर्म मेसर्स राजा राम इण्डस्ट्रीज के पास लगभग 1545·40 मी0 टन गेहूं उपलब्ध है । चूंकि मामला विवादित होने के कारण आर्बिट्रेशन में है अतः पुष्टाहार आपूर्ति नहीं करायी जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय की आडिट रिपोर्ट

9—श्री खुर्शीद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 1989 में जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय में आडिट किया गया ? यदि हां, तो उक्त आडिट की क्या रिपोर्ट है ? आडिट रिपोर्ट उल्लिखित दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय का आडिट फरवरी, 1989 में नहीं बल्कि जनवरी, 1989 में किया गया । सम्परीक्षा रिपोर्ट परीक्षणाधीन है ।

जनपद बाराबंकी में पेंशन होने वाली विधवाओं की संख्या

10—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में कितनी विधवाओं को पेंशन मिलती है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि वहां पर हरिजन कार्यालय में कितने प्रार्थना-पत्र विधवा पेंशन के विचारार्थ व अन्तिम निर्णय हेतु 31 मई, 1990 तक पड़े हुए हैं तथा उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जनपद बाराबंकी में कुल 4359 विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है ।

कुल 4180 आवेदन पत्र निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान हेतु विचारार्थ उपलब्ध हैं जिन पर चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक नियमानुसार विचार किया जा सकेगा ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा बेलसदा, ब्लाक भदैया (दोमहुवा) में भूतपूर्व विधायक के द्वारा हैंडपम्प तालाब के किनारे लगाये जाने की शिकायत

11—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेलसदा ब्लाक भदैया (दोमुहवा) सुल्तानपुर अन्तर्गत भूतपूर्व विधायक श्री शिव नारायण मिश्र व उनके

ससुर श्री राज किशोर दुबे द्वारा अवैध ढंग से जल निगम के इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प निजी मकान व सड़क को पश्चिम तरफ तथा पशुओं के निवास के दक्षिण तरफ तालाब में लगवाया है ? यदि हां, तो क्या इसकी टेक्नीकल जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो कब ? क्या मंत्री जी उसकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुए हैण्ड पम्प लगाने वाले दोषी कर्मचारी और अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही एवं तालाब से नल उखाड़ कर वर्तमान ग्राम प्रधान की निगरानी में ग्राम सभा के अन्दर जनता की सुविधा के अनुरूप लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

तत्कालीन विधायक श्री शिव नारायण मिश्रा के दिनांक 20 मार्च, 1989 के पत्र में अनुरोध पर तालाब के किनारे हैण्ड पम्प लगाया गया ।

दिनांक 1 मार्च, 1990 को हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया था ।

सहायक अभियंता की दिनांक 1 मार्च, 1990 की रिपोर्ट संलग्न है । स्थापित हैण्ड पम्प से ग्राम बलासदा को आने-जाने वाले व्यक्तियों को एवं श्री राज किशोर दुबे के भवन, निकटवर्ती क्षेत्र में निर्मित भवनों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध होता है ।

इस हैण्डपम्प को उखड़वाकर ग्राम सभा के अन्दर लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

वर्तमान ग्राम प्रधान की निगरानी में ग्राम सभा के अन्दर जनता को पेयजल की सुविधा ग्राम में अधिष्ठापित किये जाने वाले एक अन्य हैण्डपम्प के द्वारा सुनिश्चित कर दी जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 75 पर ।)

जिला वाराणसी की ग्राम सभा मरुई में पेयजल की लाइन न बिछाया जाना

12--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल नलकूप सिंधोरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी से सम्बन्धित गांव सभा मसई भी उसके अन्तर्गत है ? यदि हां, तो गांव सभा मसई में पेयजल की पाइप लाइन न बिछाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर गांव सभा मसई के सभी बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था करेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मसई नाम का कोई ग्राम सिन्धोरा ग्राम समूह पेयजल योजना में नहीं है । योजना में मरूई नाम की ग्राम सभा है जिसमें निम्नलिखित 3 ग्राम हैं :--

	1991 की जनसंख्या
(1) मरूई	3804
(2) शिवपुर	193
(3) असवानपट्टी गैर आबाद	

उक्त ग्राम सभा मरूई के ग्राम मरूई में पाइप लाइन बिछी हैं जिसमें 4 सार्वजनिक स्टैण्डपोस्ट एवं 22 निजी कनेक्शन हैं। ग्राम शिवपुर में दो हैण्ड पम्प लगे हैं। ग्राम असवानपट्टी गैर आबाद है।

उपरोक्तानुसार पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है।

13--श्री राम प्रसाद सिंह--

[5वे गुरू में अता0 प्र0 सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

14--श्री रणजीत सिंह--

[5वें गुरू में अता0 प्र0 सं0 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15--श्री फौजदार प्रसाद--

[वित्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद चमोली में विकास खंड नारायण बगड़, थराली, पशौलीधार एवं अगस्त्य मुनि में आई0 टी0 आई0 खोलने का प्रस्ताव

16--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में विकास खंड नारायण बगड़, थराली, पशौली, घाट एवं अगस्त्य मनि में आई0 टी0 आई0 खोलने के प्रस्ताव माह मार्च, अप्रैल, 1990 में प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें दिए गए हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बरफिया जुवांठा--

जी हां।

समुचित परीक्षणोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सम्प्रति वित्तीय संसाधनों के अभाव में किसी नए संस्थान को स्थापना करना सम्भव नहीं है। वर्तमान में केवल पूर्व में स्वीकृत संस्थानों के लिए स्टाफ तथा साज-सज्जा एवं भवन उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश जल निगम के सचिव (प्रशासन) एवं निदेशक, कामर्शियल विंग तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सुल्तानपुर द्वारा सैकड़ों खराब हैण्ड पम्प का लगाया जाना

17--श्री ओम प्रकाश एवं श्री राम आसरे पासवान--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के सचिव प्रशासन एवं निदेशक कामर्शियल विंग इससे पूर्व जब सुल्तानपुर में अधीक्षण अभियन्ता थे तो उनके समय में वहां लगाए गए सैकड़ों हैण्ड पम्प लगते ही बेकार हो गए थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

उत्तर प्रदेश जल निगम के तत्कालीन सचिव (प्रशासन) एवं निदेशक, कामर्शियल विंग जब सुल्तानपुर में अधीक्षण अभियन्ता थे, तो उनके कार्यकाल में आठ हजार से

अधिक हैण्ड पम्प लगाये गये थे। खराब हैण्ड पम्पों की संख्या बताने में समय लगेगा। वांछित सूचना एकत्र कर यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

जवाहर लाल हरिजन छात्रावास गोरखपुर को हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान की एवं छात्रावास के पदाधिकारियों का नाम व धन की जांच की मांग

18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री को इसकी जानकारी है कि जवाहर लाल हरिजन छात्रावास गोरखपुर को वित्तीय वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक के बीच हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान अथवा कर्ज के रूप में कितना रुपया प्राप्त हुआ ? छात्रावास के पदाधिकारियों के नाम क्या है ? क्या प्राप्त धन की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रश्नगत छात्रावास के निर्माण हेतु रु0 1.60 लाख (रुपया एक लाख साठ हजार मात्र) अनावर्तक अनुदान दिया गया।

छात्रावास के प्रबन्धक श्री शुकदेव प्रसाद हैं।

उपभोग का सत्यापन नियमानुसार कराया गया। विस्तृत जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका देवरिया के कर्मचारियों का पी0 एफ0 के बकाये रुपये के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

19—श्री राम छबीला मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न0 पा0 देवरिया के कर्मचारियों का पी0 एफ0 का बकाया रुपया देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 27 मार्च, 1990 को पत्र सं0 1073/ल0/90 शासन को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां।

पी0 एफ0 का बकाया देने का दायित्व शासन का नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के रेनुकूट वन प्रभाग में तेन्दू पत्ता मजदूरों की मजदूरी भुगतान तराई अनु0 ज0 जा0 वि0 निगम द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कार्यवाही की मांग

20—श्री विजय सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करगे कि तत्कालीन जनपद मिर्जापुर के रेनुकूट वन प्रभाग में तेन्दू पत्ता मजदूरों की मजदूरी भुगतान तराई अनु0

ज0 जा0 वि0 निगम द्वारा न किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 1988 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

प्रकरण में सतर्कता जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 जल निगम के सचिव प्रशासन तथा निदेशक कामर्शियल विंग (श्री एच0 एस0 जहीर) के विरुद्ध संसद सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद का पत्र तथा कार्यवाही की मांग

21—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के सचिव प्रशासन तथा निदेशक कार्मशियल विंग (श्री एच0 एस0 जहीर) के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में संसद सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद के पत्र दिनांक 22 मार्च, 1990 पत्रांक 2882 वी0 आई0 पी0/90 तथा 30 जनवरी, 1990 पत्रांक 1008/वी0 आई0 पी0 के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मा0 सांसद श्री हरिकेवल प्रसाद के प्रश्नगत पत्र दिनांक 22 मार्च, 1990 में इंगित अनियमितताओं की जांच के आदेश जल निगम को दे दिये गये हैं । पत्र दिनांक 30 जनवरी, 1990 में उल्लिखित अनियमितताओं की जांच जल निगम से करायी गयी है । जल निगम से प्राप्त जांच आख्या का परीक्षण शासन द्वारा किया जा रहा है ।

वर्ष 1984 से चली आ रही विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन की न्यूनतम सीमा बढ़ाने की सरकार से मांग

22—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1984 से चली आ रही विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम सीमा बढ़ाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक बढ़ा दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं तथा निराश्रित विकलांगों के भरण पोषण हेतु अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है । दोनों योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 1989-90 में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों में वृद्धि की गयी थी । चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में गत वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों में वृद्धि किया जाना विचाराधीन है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के आरक्षण कोटा का पूरा किया जाना

23—श्री फौजदार प्रसाद—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का आरक्षित कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्रों के लिये पृथक् प्राविधिक शिक्षण संस्थान संस्थापित करने की मांग

24--श्री फौजदार प्रसाद--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्रों के लिए पृथक् प्राविधिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली में 1 अप्रैल, 1989 से 1 फरवरी, 1990 तक उपजों के विपणन की जानकारी

25--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा जनपद चमोली में 1 अप्रैल, 1989 से लेकर 1 फरवरी, 1990 तक किन-किन उपजों का कितनी मात्रा में किन दरों से विपणन किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इससे पूर्व वर्ष की इसी कालावधि की तुलना में विपणन कार्य की स्थिति क्या रही और विपणन की दरों की स्थिति क्या रही ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

जनपद चमोली में 1 अप्रैल, 1989 से 1 फरवरी, 1990 तक निम्नलिखित उपजों का विपणन उनके सम्मुख लिखित मात्रा व दर पर किया गया :--

		रु0
सेब 1037·80 कुन्टल दर	ग्रेड ए	300·00 प्रति कुन्टल
	ग्रेड बी	150.00 प्रति कुन्टल
माल्टा/दर		100·00 प्रति कुन्टल
गलगल 1781·37 कुन्टल दर		80·00 प्रति कुन्टल

इसके पूर्व वर्ष की इसी कालावधि की स्थिति तथा विपणन की दरें निम्नवत् थी :--

दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से 1 फरवरी, 1999 तक सेब 1250·80 कुन्टल दर	ग्रेड ए	300·00 प्रति कुन्टल
	ग्रेड बी	150·00 प्रति कुन्टल
माल्टा/1340·81 कुन्टल दर		100·00 प्रति कुन्टल
गलगल दर		80·00 प्रति कुन्टल

श्री नारायण दत्त तिवारी के मुख्य मंत्रित्व काल में डा० अम्बेदकर की स्मृति में एक संस्थान चलाने के लिये 50 लाख रुपया दिया जाना

26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत सरकार ने 2 वर्ष पूर्व (श्री नारायण दत्त तिवारी) के मुख्य मंत्रित्व काल में डा० अम्बेदकर की स्मृति में एक संस्थान चलाने के लिए लगभग 50 लाख रुपया आगरा के एक भू० पू० विधायक को दिया था ? यदि हां, तो उस धन का क्या उपयोग किया गया ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

डा० बी० आर० अम्बेडकर बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान आगरा को संस्था के भवन निर्माण हेतु पचास लाख रुपया तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के आदेश दिनांक 23 अप्रैल, 1989 के अन्तर्गत प्रदान किया गया था । उक्त धनराशि आगरा के किसी भूतपूर्व विधायक को न देकर उक्त संस्था को दिया गया था । श्री गुलाब सेहरा, भूतपूर्व विधायक उक्त संस्था के अध्यक्ष हैं ।

संतोषजनक उपभोग का नियमानुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा रहा है ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की धनराशि जमा करने विषयक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के कथित आदेश का अनुपालन

27—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में स्थायी कार्यों पर तैनात लगभग 1123 श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर ने मुहैया कराकर भविष्य निधि के अंशदान की धनराशि नवम्बर, 1989 से जमा करने के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित फलों आदि के मूल्य निर्धारण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कार्यवाही की मांग

28—डा० दिनेश जोहरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को पर्वतीय क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित फलों आदि के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 21 फरवरी, 1990 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए सेब का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका बरेली के नगर अभियन्ता के स्थानान्तरण की मांग

29--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 3 जनवरी को नगर महापालिका बरेली बोर्ड की बैठक में नगर अभियन्ता के खिलाफ सदन की अवमानना का कोई प्रस्ताव पारित किया गया था और शासन से उक्त अधिकारी के स्थानान्तरण की भी मांग सर्व सम्मति से की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

नगर महापालिका बरेली के उक्त नगर अभियन्ता को वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

30--डा0 दिनेश जौहरी--

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

जनपद बांदा के ग्राम पुकारी में हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प लगाने की मांग

31--डा0 सुरेन्द्र पाल शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम पुकारी तथा ग्राम करतन की हरिजन बस्ती में पेयजल के गम्भीर संकट तथा आबादी को देखते हुये हरिजन बस्ती में पांच-पांच हैण्ड पम्प लगवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

ग्राम पुकारी की हरिजन बस्ती (1981 की जनसंख्या-255) में 2 हैण्ड पम्प तथा ग्राम करतल की हरिजन बस्ती (1981 की जनसंख्या-765) में 5 हैण्डपम्प पहले ही लगा दिये गये हैं ।

जनपद बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी में ग्रामवार हैण्ड पम्प लगाने का विवरण

32--डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा निर्वाचन क्षेत्र नरैनी में भीषण पेयजल समस्या को देखते हुये प्रत्येक गांव में ग्रामवार कितने हैण्ड पम्प लगे हैं तथा कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं ? क्या पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए अविलम्ब स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के ग्रामों में कुल 1337 हैण्ड पम्प (ग्रामवार सूची संलग्न) लगाये गये हैं तथा कुल 1644 हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं ।

धन की उपलब्धता के अनुसार शेष हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 76 पर ।

जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर के परगनाधिकारी द्वारा प्रेषित पांच विकलांगों की पेंशन स्वीकृति विषयक पत्र पर जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा कृत कार्यवाही

33--श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर के परगनाधिकारी द्वारा अध्यक्ष यूनाइटेड यूथ एसोसियेशन तिलहर को दिनांक 2। जनवरी, 1990 को पत्रांक-90/आ0 लि0 भेजकर सूचित किया कि पांच विकलांगों की पेंशन स्वीकृति हेतु जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को उनके प्रार्थना-पत्र भेज दिय गये हैं ? यदि हां, तो उन पर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां ।

परगनाधिकारी तिलहर द्वारा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को भेजे गये पांच विकलांग व्यक्तियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) का कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

34--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) का कार्यालय किन कारणों से अभी तक पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं किया गया ह ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

प्रदेश की शिक्षा नीति एक ही है । शिक्षा सेक्टर के नीति विषयक आयोजनागत एवं आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त कार्य इलाहाबाद स्थित शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में ही केन्द्रीय रूप से निष्पादित होते हैं । पर्वतीय क्षेत्र के प्रस्ताव निदेशालय, अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करता है । उक्त अधिकारी का ही दायित्व है कि यह शासन स्तर से अपने प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त करे, शासन द्वारा अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध कराये, और शिक्षा विभाग तथा पर्वतीय विकास विभाग से विचार विमर्श करें । यह समस्त कार्य, उक्त कार्यालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हो जाने से सम्भव न होगा । इसके अतिरिक्त, मण्डलीय स्तर पर शिक्षा विभाग के कार्यों का निष्पादित कराये जाने हेतु प्रत्येक मण्डल में तीन अधिकारी अर्थात् मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पहले से ही तैनात हैं, जो क्षेत्रीय प्रशासनिक व विकास कार्यों का निष्पादन करते हैं । अतः अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के कार्यालय को लखनऊ में ही स्थापित रखे रहना लोकहित में हैं ।

म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, 1916 में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना

35--श्री बिमल प्रसाद तिवारी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, 1916 में आमूल-चूल परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

नागर स्थानीय निकायों पर लागू विभिन्न अधिनियमों, यथा : उ0 प्र0 नगर महापालिका अधिनियम, यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, यू0 पी0 टाउन एरिया ऐक्ट, उ0 प्र0 वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज ऐक्ट, उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम तथा उ0 प्र0 मलिन बस्ती (सुधार एवं निरासन) अधिनियम, 1962 का परीक्षण करके यथावश्यक संशोधन के साथ मात्र एक अधिनियम का प्रारूप प्रस्तावित करने हेतु "उ0 प्र0 नागर स्थानीय निकाय विधि उच्च स्तरीय समिति" गठित की गई है जिसकी संस्तुतियां प्राप्त होने पर ही प्रस्तावित अधिनियम की रूप रेखा स्पष्ट हो सकेगी ।

शाहजहांपुर नगरपालिका को विशेष अनुदान दिये जाने की मांग

36--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में उ0 प्र0 की विभिन्न नगरपालिकाओं में जलापूर्ति विशेष अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो शाहजहांपुर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब होने पर भी उसे उक्त विशेष अनुदान से वंचित क्यों रखा गया ? क्या निकट भविष्य में दूसरी नगरपालिकाओं की भांति शाहजहांपुर नगरपालिकाओं को भी विशेष अनुदान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी नहीं ।

जब किसी नगरपालिका को जलापूर्ति हेतु विशेष अनुदान नहीं दिया गया तो शाहजहांपुर को दिये जाने का प्रश्न भी नहीं उठता है । धन उपलब्ध होने पर विशेष अनुदान दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

37--श्री केदार नाथ सिंह--

[4 थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

38--श्री निरवेन्द्र कुमार--

[4 थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

39--श्री विजय सिंह--

[5 वें सोम में अता0 प्र0 सं0 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी जिले की तहसील एवं टाउन एरिया रामनगर में पानी की टंकी उपलब्ध कराने की मांग

40--श्री शिव करन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी की तहसील एवं टाउन एरिया रामनगर में पानी की टंकी नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टाउन एरिया में प्राथमिकता के आधार पर पानी की टंकी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पा०डेय—

टाउन एरिया रामनगर, जनपद बाराबंकी में कोई पानी की टंकी नहीं है । सीमित संसाधनों के कारण उक्त टाउन एरिया में पानी की टंकी बनवाये जाने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है ।

जनपद बाराबंकी की टाउन एरिया रामनगर के कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान

41—श्री शिव करन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की टाउन एरिया रामनगर के कर्मचारियों को कितने माह से वेतन नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उन्हें वेतन दिलाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक उक्त कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

टाउन एरिया रामनगर के कर्मचारियों का नवम्बर, 1989 से वेतन बकाया है ।

अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व सम्बन्धित निकाय का है । बकाये वेतन के भुगतान हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय को निर्देश दिये जा रहे हैं ।

42—श्री श्याम बिहारी सिंह—

[5वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद आगरा (प०) के अनु० क्षेत्र के जगदीशपुरा में भीम नगर गड्ढे को बन्द कराने की मांग

43—श्री किशन गोपाल—

क्या नगर विकास मंत्री आगरा (प०) अनु० क्षेत्र के जगदीशपुरा में भीम नगर गड्ढे से व्याप्त गन्दगी एवं बीमारी को दूर करने हेतु उसे बन्द कराने की कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि हां, तो वे इस कार्य को कब तक पूरा करा लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

जगदीशपुरा में एक पोखर स्थित है जिस पर महापालिका का स्वामित्व नहीं है । इस क्षेत्र की आबादी एवं वर्षा का पानी इसी पोखर में जाता है पानी का दूसरा कोई निकास न होने के फलस्वरूप वर्तमान में इसको बन्द करने की कोई योजना नहीं है । वर्षाकाल में इस पोखर का पानी पम्प लगवा कर निकलवाया जाता है जिससे एकत्रित गन्दगी की भी सफाई हो जाती है ।

44—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हेतु निर्धारित आयु सीमा का विवरण

45—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु कौन सी आयु सीमा निर्धारित है ? प्रदेश में 1 मई, 1990 तक इस आयु सीमा के वृद्धों की संख्या क्या थी ? इनमें से कितनों को किस दर से मासिक वृद्धावस्था पेंशन वर्ष 1990 में स्वीकृत हुयी है ? शेष को पेंशन स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार शेष सभी वृद्धों को पेंशन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु अब आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है ।

इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है, अतएव निश्चित संख्या बताया जाना सम्भव नहीं है ।

श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1990 से 1 मई, 1990 तक 17,089 व्यक्तियों को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत की गई है ।

पेंशन स्वीकृति हेतु समस्त प्राधिकारियों के समक्ष जैसे-जैसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं, जांचोपरान्त स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किये जाने पर बिना किसी भेद-भाव के सभी व्यक्तियों को नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किये जाने के आदेश हैं ।

मार्च, 1991 तक 5 लाख पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

1 जनवरी, 1990 से पेंशन की राशि 60 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 100 रु0 प्रतिमाह की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में निराश्रित विधवाओं की संख्या एवं प्रतिमाह दिये जाने वाली पेंशन की जानकारी

46—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 मई, 1990 तक निराश्रित विधवाओं की संख्या क्या थी ? इनमें से कितनी विधवाओं को किस दर से मासिक पेंशन उक्त अवधि तक वर्ष 1990 में स्वीकृत हुयी है । शेष को पेंशन स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार शेष सभी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

विभाग द्वारा कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है जिससे ज्ञात हो सके कि प्रदेश में निराश्रित विधवाओं की संख्या कितनी है।

2,35,720 निराश्रित विधवाओं को

1 अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक भरण पोषण अनुदान दिये जाने की व्यवस्था रही है। जिसकी पूर्व निर्धारित दर रु0 60 को 1 जनवरी, 1990 से 100 रु0 प्रति माह कर दिया गया है। इन मामलों पर चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रदेश में विकलांगों की संख्या एवं उन्हें पेंशन दिये जाने विषयक विवरण

47—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 मई, 1990 तक विकलांगों की संख्या क्या थी ? इस वर्ष इस अवधि तक कितने विकलांगों को विकलांग पेंशन स्वीकृत हुयी है ? क्या शासन विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

विभाग द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है जिससे दिनांक 1 मई, 1990 तक विकलांगों की संख्या ज्ञात हो सके।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित विकलांगों के भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने की योजना है जिसके अन्तर्गत गत वर्ष के लक्ष्यों में चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किया जाना प्रस्तावित है जिसके परिप्रेक्ष्य में घनावंटन के बाद यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जी नहीं, लेकिन निराश्रित विकलांगों के भरण-पोषण हेतु अनुदान की राशि को दिनांक 1 जनवरी, 1990 से रु0 60 से बढ़ाकर रु0 100 प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या एवं बेरोजगारों को नियमित रोजगार दिये जाने की जानकारी

48—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1990 तक प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या थी ? वर्ष 1990 में 1 मई तक ऐसे कितने बेरोजगारों को नियमित रोजगार दिया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सेवायोजन कार्यालयों में शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के विषय में अर्द्धवार्षिक (जून/दिसम्बर) आधार पर सूचना संकलित की जाती है। इस प्रकार से दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 को प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर शिक्षित बेरोजगार (हाई स्कूल एवं इससे उच्च शिक्षा प्राप्त) अभ्यर्थियों की संख्या 1971606 थी। वर्ष 1989 में 8352 पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को काम मिला।

49—श्री ऊदल—

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला वाराणसी के भवानीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत नलकूप व टंकी से अधिकांश गांवों की जलापूर्ति न होना

50—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समूह पेयजल योजना भवानीपुर ब्लाक आराजी लाइन जिला वाराणसी 20 वर्ष पूर्व चालू की गयी थी और नलकूप तथा टंकी शुरू से बनायी गयी थी ? क्या उससे गांव धानापुर, लशकीरहा, पनियरा, उपाध्यायपुर को पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है तथा पाईप भी पूरी नहीं लगायी गयी है ? क्या गांव भवानीपुर, गोविन्दनगर, बहोरनपुर, खगराजपुर वगैरह योजना के अन्तर्गत है ? अब तक इस योजना में पूरे गांव में जल की सप्लाई क्यों नहीं की गयी ? क्या यह भी सही है कि योजना में होने की वजह से हैण्ड पम्प भी नहीं लगाये जा रहे हैं ? क्या सरकार सभी पहलुओं की जांच कर कार्यवाही करेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

भवानीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना वर्ष 1971-72 में विरचित की गयी थी जिसमें नलकूप व टंकी निर्मित की गयी है ।

ग्राम धानापुर, लकठिरहा, पनियरा, उपाध्यायपुर मूल भवानीपुर पेयजल योजना में सम्मिलित नहीं हैं ।

भवानीपुर, गोविन्दपुर, बहोरनपुर तथा खरगराजपुर (न कि खगराजपुर) ग्राम योजना में सम्मिलित हैं ।

योजना में सम्मिलित चार ग्रामों भवानीपुर, गोविन्दपुर, बहोरनपुर एवं खरगराजपुर में वर्तमान में जलापूर्ति हो रही है ।

जी हां ।

उपरोक्तानुसार आवश्यकता नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया खुटार में पीने के पानी की टंकी का निर्माण कार्य

51—श्री चेतराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया खुटार, जनपद शाहजहांपुर में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु पानी की टंकी स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य शुरू न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार शीघ्र कस्बा खुटार में पानी टंकी का निर्माण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

टाउन एरिया खुटार, जनपद शाहजहांपुर हेतु पेयजल योजना वर्ष 1985 में स्वीकृत हुई थी, जिसमें टंकी का भी निर्माण कार्य सम्मिलित है ।

पूर्व वर्षों में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित कार्य को प्रारम्भ नहीं कराया जा सका ।

वित्तीय वर्ष 1990–91 में खुटार पेयजल योजना की टंकी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद गोण्डा के अधिसूचित क्षेत्र समिति तुलसीपुर को नगर पालिका बनाये जाने का प्रस्ताव तथा आय–व्ययक का लेखा परीक्षण

52––श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू––

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तुलसीपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को शासन नगर पालिका बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधिसूचित क्षेत्र समिति तुलसीपुर गोण्डा के आय–व्ययक का लेखा परीक्षण कितने वर्षों से नहीं किया गया है ? लेखा परीक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय––

अधिसूचित क्षेत्र समिति तुलसीपुर को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका बनाये जाने का प्रस्ताव शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है ।

वर्ष 1988–89 तक के आय–व्ययक का लेखा परीक्षण किया जा चुका है । वर्ष 1989–90 का लेखा परीक्षण जिला लेखा सम्परीक्षण अधिकारी द्वारा कार्यक्रम निर्धारित होने पर किया जायेगा ।

जनपद बांदा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगे हैण्ड पम्पों की संख्या एवं उन्हें ठीक कराने की जानकारी

53––श्री देव कुमार यादव––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक कितने गांवों में हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं ? क्या यह सही है कि लगाये गये हैण्ड पम्प में निर्धारित गहराई तक पाइप न गलाये जाने से अधिकांश हैण्ड पम्पों में पानी नहीं आता है । यदि हां, तो कुल हैण्ड पम्पों में कितने किन–किन कारणों से पानी नहीं दे रहे हैं और खराब हैं ? क्या सरकार इन हैण्ड पम्पों को ठीक कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय––

844 ग्रामों में ।

यह कहना सही नहीं है कि अधिकांश हैण्ड पम्पों में पानी नहीं आता है । वास्तव में कुल 282 हैण्ड पम्प खराब हैं जिसमें 65 नग अस्थाई रूप से, 29 नग स्रोत सूख जाने एवं 188 नग ग्रामवासियों द्वारा तोड़–फोड़ करने के कारण खराब हैं ।

हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है । खराब हैण्ड पम्पों हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

उत्तर प्रदेश जल संस्थान द्वारा जनपद बांदा में पेयजल की योजनायें एवं उनका रखरखाव

54—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जल संस्थान द्वारा जनपद बांदा में कितने पेयजल योजनाओं को संचालित किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत योजनाओं से सम्बद्ध गांवों को पानी न मिलने के कारण उनके समक्ष गम्भीर जल संकट उपन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार जलापूर्ति की व्यवस्था करके उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

झांसी जल संस्थान द्वारा जनपद बांदा में कुल 8 नागर एवं 10 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रख-रखाव किया जा रहा है ।

जी नहीं । पाइप लाइन एवं हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जा रही है । कोई गम्भीर जल संकट नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ की नगरपालिका मऊ नाथ भंजन को वर्ष 1989-90 में विकास हेतु दी गई धनराशि का विवरण

55—श्री मोबीन अहमद आजमी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मऊ नाथ भंजन, जनपद मऊ में वर्ष 1989-90 में कितनी धनराशि निर्माण कार्य के लिए आबंटित की गई हैं और उससे कितना कार्य हुआ ? यदि कार्य नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगर पालिका मऊनाथ भंजन को वर्ष 1989-90 में 6,70,000 रु0 साधारण सड़क अनुदान तथा 1,50,000 रु0 विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत हुआ । चयन किए गए 24 निर्माण कार्यों में से 31 मार्च, 1990 तक किसी भी कार्य का पूरा कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है । विलम्ब के कारणों की जांच कराई जा रही है ।

56—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[5वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गोण्डा के अधिसूचित क्षेत्र समिति तुलसीपुर का नगरपालिका बनाये जाने की मांग

57—श्री रिजवान जहीर उर्फ रज्जू—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिसूचित क्षेत्र समिति, तुलसीपुर, जनपद गोण्डा को शासन द्वारा नगरपालिका बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

अधिसूचित क्षेत्र समिति तुलसीपुर जनपद गोण्डा को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका बनाये जाने का प्रस्ताव शासन द्वारा विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया है ।

जनपद गोण्डा के अधिसूचित क्षेत्र समिति, तुलसीपुर को वर्ष 1989–90 में शासन द्वारा दिया गया अनुदान एवं उसके उपयोग की जानकारी

58–श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू–

क्या नगर विकास मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधिसूचित क्षेत्र समिति तुलसीपुर, जनपद गोण्डा को वर्ष 1989–90 में शासन द्वारा विभिन्न मदों में कितनी धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की गयी है ? क्या प्रदत्त धनराशि का उपयोग उचित रीति से किया जा चुका है ? क्या इसकी जांच करायी जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

अधिसूचित क्षेत्र समिति तुलसीपुर जनपद गोण्डा की वर्ष 1989–90 में 1,20,000 रु0 का साधारण सड़क अनुदान तथा 75,000 रुपये का विशेष सड़क अनुदान और बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त स्थानीय निकायों एवं जल संस्थानों की सम्पूर्ति सीवरेज/ड्रेनेज की मरम्मत हेतु 28,000 रु0 का अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

प्रदत्त धनराशि के उपयोग की प्रक्रिया जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में जियोहाइड्रोलाजिकल सेल का गठन

59–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के संदर्भ में नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम भूगर्भ जल सर्वेक्षण हेतु पृथक इकाई का गठन विभाग नहीं कर पाया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्वतन्त्र इकाई के गठन का पुनः विचार करके दोहरी कार्य प्रणाली को समाप्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

विभाग में जियोहाइड्रोलाजिकल सेल का गठन किया जा चुका है ।

जिला वाराणसी में पेयजल योजना सेवापुरी के अन्तर्गत सेवापुरी, पिंडरा, सिन्धोरा इत्यादि गांवों में पानी की सप्लाई का बाधित होना

60–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजना सेवापुरी, पिंडरा, पिरांव कोट, अनेई, नवादा अंगारी, सिंघोरा हरहुओं, भवानीपुर, जिला वाराणसी में जितने गांव लिये गये हैं सभी गांवों में पानी आज तक सप्लाई नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी महत्वाकांक्षी योजनायें क्यों बनायी गयी है कि लाखों रु0 योजना लागू करने में खर्च किया गया और योजना के मुताबिक गांवों को पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है ? क्या सरकार पेयजल योजनाओं की समीक्षा करायेगी ? और आगे योजना बनाते वक्त इसका ख्याल रखेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

पेयजल योजना सेवापुरी, पिंडरा, विरांव कोट, अनेई, नेवादा–मंगारी, सिन्धोरा, हरहुआ, भवानीपुर पेयजल योजनाओं में क्रमशः 30, 10, 46, 45, 26, 7, 75 एवं 4 ग्राम सम्मिलित हैं जिसमें से सेवापुरी, पिंडरा, सिंधौरा व भवानीपुर के सभी ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है । विरावकोट योजना में 5, हरहुआ योजना में 3 ग्रामों की जलापूर्ति बाधित है ।

विरावकोट के 5 ग्रामों में से 3 ग्रामों में 8 हैण्ड पम्प भी लगाये गये हैं । अनेई एवं नवादा, मंगारी योजनायें अभी निर्माणाधीन हैं । अतः इन योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है । चालू योजनाओं के ग्रामों में पानी नहीं पहुंचने का कारण पानी का दबाव कम होना, ग्रामवासियों द्वारा "स्लूत वाल्व" को बन्द किया जाना आदि है ।

उपरोक्त में से कोई भी योजना महत्वाकांक्षी योजना नहीं है । योजना जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये बनाई गई हैं तथा जिन योजनाओं में जलापूर्ति बाधित है उसके लिए उपाय किये जा रहे हैं तथा कुछ ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं व और भी प्रस्तावित हैं ।

जी हां ।

इसका ध्यान रखा जाता है ।

जिला वाराणसी में विरावकोट ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत सम्मिलित किये गये ग्रामों में पेयजल आपूर्ति का विवरण

61—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल गांव समूह विरावकोट, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में जितने गांव पेयजल योजना में लिये गये हैं उसमें से कितने गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार उन गांव की सूची देगी और गांव सभा चिलबिला, बौलिया तथा खरारियां, तालुके, विरांवगांव की जांच करायेगी जहां उक्त नलकूप से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार पूरे क्षेत्र की जांच कराकर और गांव में हैण्ड पम्प लगाने की योजना बनाने पर विचार करेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

विरावकोट ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 46 ग्राम सम्मिलित हैं जिसमें से 5 ग्रामों-मधुमखिया, हरेहू, बौलिया, बलुआ, पतेर में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है । इसमें से ग्राम मधुमखिया में 1, बौलिया में दो तथा पतेर में पांच हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ।

बड़ा गांव ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 23 ग्राम सम्मिलित हैं जिसमें से सभी में पानी चल रहा है केवल बाबतपुर चौमुहानी में चोकेज के कारण आपूर्ति कुछ कम है जिसे शीघ्र ठीक कराया जा रहा है ।

विरावकोट योजना के अन्तर्गत ग्रा। चिलबिला और ग्राम खररिया ताल्लुका विरांव ग्राम सभा में पेयजल की आपूर्ति हो रही है । केवल बौलिया में प्रेशर की कमी के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है तथा ग्रा। चिलबिला के खरगनपुर पुरवे में पानी नहीं जा पा रहा है । अतः ग्राम बौलिया में दो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । उक्त स्थिति में किसी योजना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद वाराणसी में पेयजल योजना नेवादा मंगारी, ब्लाक पिंडरा के गांवों में जलापूर्ति की व्यवस्था का विवरण

62—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि पेयजल योजना नेवादा मंगारी, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में कितने तथा कौन-कौन गांव शामिल किये गये हैं ? क्या उन गांवों में पाइप लाइन बिछा दी गई है ? यदि नहीं बिछायी गयी है तो कब तक बिछाकर पानी की सप्लाई शुरू कर दी जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड पिंडरा की नेवादा मंगारी पेयजल योजना में निम्न 26 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं :—

(1) मंगारी, (2) नेवादा, (3) गंगापुर, (4) अमोत, (5) बूची, (6) रामनगर, (7) गजेन्द्रा, (8) नेहिया, (9) दल्लीपुर, (10) लालापुर, (11) प्रसादपुर, (12) अहरक, (13) ओदोर, (14) भई, (15) सरहद, (16) काशीपुर, (17) राजपुर, (18) मानपुर, (19) घोघली, (20) नैनपुर, (21) नितोरा, (22) नयी कोट, (23) कोरी, (24) दुदिलपुर (25) जगदीशपुर, (26) चिनतामनपुर ।

उक्त ग्रामों में से ग्राम-दुदिलपुर, मंगारी, लालापुर, प्रसादपुर, अहरक, नैनपुर, दल्लीपुर, गंगापुर में पाइप लाइन आंशिक रूप से बिछायी जा चुकी है ।

धन की उपलब्धता के अनुसार पाइप लाइन बिछाकर पानी की आपूर्ति की जायेगी ।

इलाहाबाद नगरमहापालिका को कुम्भ मेला तथा विश्व बैंक योजना तथा सड़क मद के अन्तर्गत वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में दिया गया तथा व्यय किया गया धन तथा शेष बचा धन की जानकारी

63—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका को कुम्भ मेला तथा विश्व बैंक योजना तथा सड़क मद के अन्तर्गत वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में कितना-कितना धन सड़क निर्माण हेतु दिया गया तथा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण या मरम्मत नगर महापालिका द्वारा स्वयं या किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कराया गया ? क्या कोई धन उपरोक्त योजनाओं में से शेष बचा है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद के दादरी नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा की गई अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

64--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार बतायेगी कि दादरी नगर पालिका, जनपद गाजियाबाद के अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा की गयी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री मलखान सिंह तथा सात अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक तेरह सूत्रीय शापन दिनांक 19 जनवरी, 1990 को नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

इस मामले में निदेशक, स्थानीय-निकाय उत्तर प्रदेश के माध्यम से जांच करवाई गयी है तथा उप निदेशक, स्थानीय निकाय की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण कर मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

65--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[5 वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

क्षेत्र प्रमुख, नगरपालिका अध्यक्ष, टाउन एरिया अध्यक्ष, नोटीफाइड अध्यक्ष एवं सभासदों को यात्रा भत्ता दिये जाने का नियम

66--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र प्रमुख नगरपालिका के अध्यक्ष टाउन एरिया के अध्यक्ष, नोटाफाइड एरिया के अध्यक्ष एवं सभासदों को यात्रा भत्ता दिए जाने का क्या नियम है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

(1) क्षेत्र प्रमुख को उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) नियमावली, 1963 के नियम-5 के अन्तर्गत लोकहित में खण्ड और जिले के भीतर की गई सभी यात्राओं के लिये प्रतिमास नियत यात्रा भत्ता दिया जाता है ।

(2) नगरपालिका के अध्यक्ष एव सभासदों को नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-37 के अन्तर्गत शासन/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त यात्रा भत्ता दिये जाने का प्राविधान है ।

(3) टाउन एरिया के अध्यक्ष एवं नोटीफाइड एरिया के अध्यक्ष को यात्रा भत्ता देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

67--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[5 वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

68--डा0 दिनेश जोहरी--

[5 वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जनपद में पायो जाने वालो धुरिया उपजाति के सम्बन्ध में जानकारी

69--श्री अकबर हुसैन बाबर---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में धुरिया उपजाति पायो जातो है ? यदि हां, तो उसकी मूल जाति क्या है ? और धुरिया उप जाति को संख्या जनपद में कितनो है ? क्या वह अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

सूचना एकत्र को जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर तहसील तिलहर निवासिनो एक विधवा को विधवा पेंशन न दिये जाने विषयक प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

70--श्री सुरेन्द्र विक्रम सिह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर मोहल्ला विरियागंज तहसील तिलहर निवासिनो एक विधवा द्वारा तीन बार प्रार्थना-पत्र जमा करने के बावजूद उसको पेंशन प्रदान नहीं को गयो ? उक्त विधवा को पेंशन को स्वीकृति के सम्बन्ध में अध्यक्ष यूनाइटेड यूथ एसोसियेशन द्वारा परगनाधीश तिलहर को प्रेषित शिकायतो पत्र दिनांक 2 मई, 1990 पर क्या कार्यवाही की गयो ? क्या उक्त प्रार्थिनो को पेंशन उपलब्ध करा दी गयो ? यदि नहीं, तो कब तक करा दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद---

जी हां ।

उक्त विधवा द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र अपूर्ण थे तथा प्रार्थिनो को आवेदन पत्र में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र मांगा गया था जिसके अब तक प्राप्त न होने के कारण उसे मरण पोषण अनुदान दिये जाने पर विचार नहीं किया जा सका ।

प्रार्थिनो द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर धन को उपलब्धता के आधार पर अनुदान स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

नगर पालिका बिजनौर, नगरपालिका किरतपुर और टाउन एरिया मण्डावार में चेयरमैनों को पद ग्रहण करने के बाद विभिन्न मदों में शासन से स्वीकृत धनराशि का विवरण

71--श्री सुखवीर सिह--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि नगरपालिका बिजनौर को नगरपालिका किरतपुर और टाउन एरिया मण्डावार में जब से चेयरमैनों ने कार्यभा र

सम्भाला है उन्हें कितनी राजकीय सहायता शासन द्वारा दी गयी है और क्या-क्या कार्य उनके द्वारा किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

1--(क) चेयरमैन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका बिजनौर को विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का विवरण इस प्रकार है :

(1) सड़क अनुदान हेतु कुल रूप 15,800, स्वीकृत हुये। रु0 6, 61, 000 का उपयोग उक्त मद में किया जा चुका है। शेष धनराशि के कार्य कराये जा रहे हैं।

(2) मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु रु0 46,000 स्वीकृत किये गये। कार्य प्रगति पर है।

(3) सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु रु0 2,50,000 स्वीकृत हुये। कार्य प्रगति पर है।

(4) मार्ग प्रकाश हेतु रु0 50,000 स्वीकृत हुये। कार्य प्रगति पर है।

(5) सीवरेज/ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत रु0 2,75,000 स्वीकृत हुये। कार्य प्रगति पर है।

(ख) चेयरमैन द्वारा कार्य भार ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका कितरपुर को सड़क निर्माण हेतु कुल रु0 5,95,000 स्वीकृत हुये थे। रु0 3,97,923 का उपयोग किया जा चुका है। शेष धनराशि के कार्य निर्माणाधीन है।

(ग) चेयरमैन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् टाउन एरिया मन्डावर को कुल रु0 3,10,000 सड़क अनुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद देवरिया के मझौली राज टाउन एरिया मे कार्यरत दैनिक वेतन-भोगियों की संख्या, सेवा अवधि इत्यादि की जानकारी

72--श्री हरिवंश सहाय--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के मझौली राज टा0 ए0 अन्तर्गत जनवरी 1989 तक कितने कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी थे ? उन सबकी सेवायें कितने वर्षों से की हो चुकी थी ? उनमें से किन-किन कर्मचारियों की सेवायें किन कारणों से समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवायें तीन वर्ष से अधिक पूरी हो चुकी हैं उन्हें स्थायी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जनपद देवरिया के मझौली राज टाउन एरिया में जनवरी, 1989 तक पांच कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी थे।

उपरोक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवायें तीन वर्ष से अधिक की हो चुकी थीं।

टैक्स अमीन के पद पर कार्यरत एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा की गयी अनियमितता (गबन) के कारण समाप्त कर दी गई है ।

जी नहीं ।

पदों की अनुपलब्धता के कारण ।

गोरखपुर महापालिका का कार्य विकास प्राधिकरण के अभियन्ता से कराया जाना

73--श्री शिव प्रताप शुक्ला--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महापालिका का कार्य वहां के अवर अभियन्ताओं से न कराकर के मुख्य नगर अधिकारी ने विकास प्राधिकरण के अभियंताओं से कराया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

वर्ष 1989-90 में नगर महापालिका द्वारा महानगर की कच्ची गलियों में खड़ंजा तथा नाली निर्माण का एक अभियान चलाया गया था जिसके अन्तर्गत महानगर के 30 वार्डों में 1,10,84,638·00 रुपया के 174 निर्माण कार्य कराये जाने थे । नगर महापालिका में कार्यरत 6 अवर अभियन्ताओं एवं 2 सहायक अभियन्ताओं के पर्यवेक्षण में उक्त कार्य अभियान के रूप में कराया जाना सम्भव नहीं था । अतः सहायता के लिये गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ताओं का सहयोग लिया गया था ।

सैनिक कल्याण निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के जांच हेतु माननीय मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

74--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सैनिक कल्याण निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोपों की जांच हेतु उन्होंने मुख्य मंत्री को हाल में ही कोई पत्र आरोपों को दर्शाते हुए लिखा है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां ।

मुख्य-मुख्य आरोप निम्नवत् हैं :--

(1) शासन द्वारा जारी शासनादेशों को बलाये ताक कर अनुमन्य वेतन भत्तों से अधिक वेतन एवं भत्ता आहरित करना ।

(2) उप निदेशक द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने का प्रयास करने पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना तथा उनके स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना ।

(3) सर्वश्री एस० एन० मिश्र, जे० के० पन्त तथा बी० पी० मिश्रा की सेवायें निदेशक द्वारा समाप्त किया जाना ।

(4) 15 वर्षों से विभाग में कार्यरत मेहनती एवं ईमानदार अधिकारियों को उप निदेशक के पद से हटा कर पुनः जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पद पर भेजा जाना ।

उपर्युक्त आरोपों की जांच आयुक्त लखनऊ मण्डल से कराई जा रही है । इसके अतिरिक्त वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष आडिट कराने की कायवाही की जा रही है ।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी, आशुलिपिक, अवर श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में की गई जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

75—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे0 एस0 पी0 पाण्डेय, अपर श्रमायुक्त, उ0 प्र0, कानपुर क्षेत्र, कानपुर (तत्कालीन) के द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त किये गये आशुलिपिक श्री अशोक कुमार बाजपेयी की नियुक्ति के विरुद्ध श्री सुशील कुमार मंकले द्वारा दिय गये उपालम्भ 2 जून सन् 1989 पर गठित जांच समिति ने इस प्रकरण पर छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां। प्रश्नगत रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

गोरखपुर में राजकीय संरक्षण गृह जिसमें महिलायें रहती हैं, का कार्यभार श्री राजेन्द्र कुमार को दिये जाने तथा पूर्व प्रभारी एवं अधीक्षिका श्रीमती उर्मिला राय को हटाकर श्रीमती साजिदा रिजवी को प्रभारी अधीक्षिका बनाये जाने पर आपत्ति

76—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में राजकीय संरक्षण गृह जिसमें महिलायें रहती हैं, का कार्यभार श्री राजेन्द्र कुमार को दिया गया है तथा पूर्व प्रभारी एवं अधीक्षिका श्रीमती उर्मिला राय को हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या महिला संरक्षण गृह का इंचार्ज पुरुष हो सकता है ? यदि नहीं, तो गोरखपुर में ऐसा क्यों किया गया है ? क्या कोई महिला शिक्षक उक्त संरक्षण गृह की प्रभारी अधीक्षिका रह सकती है ? यदि नहीं, तो गोरखपुर में मात्र एक शिक्षिका होने के बावजूद श्रीमती साजिदा रिजवी को प्रभारी अधीक्षिका क्यों बनाया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी नहीं । श्री राजेन्द्र कुमार जिला प्रोवेशन अधिकारी को दिनांक 16 अगस्त, 1989 को राजकीय संरक्षण गृह का आहरण वितरण का कार्य सौंपा गया था । जी नहीं । श्रीमती उर्मिला राय, प्रभारी अधीक्षिका नहीं थी । यह केवल सहायक अधीक्षिका थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्यतः नहीं ।

गोरखपुर में ऐसा नहीं किया गया । अधीक्षिका द्वारा कार्यभार न ग्रहण करने पर श्री राजेन्द्र कुमार, प्रोबेशन अधिकारी को दिनांक 16 अगस्त, 1989 को संरक्षण गृह में मात्र आहरण-वितरण के लिए प्रभारी बनाया गया था ।

जी नहीं ।

गोरखपुर में एक नहीं, दो महिला शिक्षिकायें कार्यरत हैं, जिसमें वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती साजिदा रिजवी को आहरण-वितरण का कार्य छोड़कर अन्य समस्त कार्यों के लिए प्रभारी अधीक्षिका बनाया गया था ।

जनपद हरदोई के कछौना नगर में खोले गये आश्रम पद्धति स्कूल के भवन के किराये का भुगतान न किया जाना

77—श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कछौना नगर जनपद हरदोई में श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री विशुन नरायन गुप्ता, निवासी कछौना के भवन में जुलाई, 1987 में खोले गये आश्रम पद्धति स्कूल का किराया, जो कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा रु0 2400 रु0 प्रतिमाह पर लिया गया था, का भुगतान अभी तक उन्हें क्यों नहीं किया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

औपचारिकतायें अपूर्ण होने के कारण किराया स्वीकृति का मामला शासन के विचाराधीन है तथापि किराये के मद में अग्रिम के रूप में 20,000 रु0 का भुगतान कर दिया गया है ।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल की समस्या तथा समस्याग्रस्त गांवों में हैण्ड पाइप का लगाया जाना

78—श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल के लिए कितने गांव अभावग्रस्त हैं ? इनमें से कितने गांवों में आवश्यकतानुसार हैण्ड पाइप लगा दिये गये हैं ? शेष गांवों में कब तक लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के कुल 512 ग्रामों में से पेयजल की दृष्टि से 440 ग्राम समस्याग्रस्त हैं ।

उक्त 440 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 417 ग्रामों में एक या दो हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल सुविधा प्रदान की गई है ।

शेष 23 समस्याग्रस्त ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जा

ग्राम खमिया (शान्तीनगर) नं0 4 किछा, जनपद नैनीताल में नलकूप लगाये जाने हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

79—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ग्राम खमिया (शान्तिनगर) नम्बर—4 किछा, जनपद नैनीताल में नलकूप लगाये जाने के विषय में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 12 फरवरी, 1990 का मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या अभी तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां ।

ग्राम खमिया (शान्तिपुर) नं0 4 तथा उसके पश्चिम में स्थित ग्राम जयग्राम में पानी की आवश्यकता है । इन दो ग्रामों के बीच तीन मीटर गहरा नाला है नलकूप ग्राम जयग्राम में बनाया जा सकता है, किन्तु वहां पर केवल 130 एकड़ क्षेत्र ही उपलब्ध है । अतः नलकूप लगाया जाना व्यावहारिक न होगा ।

जनपद बांदा के ग्राम कोरीखुर्द के मृतक हरिजन कार्यकर्ता श्री भैय्यादीन की पत्नी को आर्थिक सहायता दिया जाना

80—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के विसंडा थाने के अन्तर्गत ग्राम कोरी खुर्द के एक हरिजन कार्यकर्ता श्री भैय्यादीन की हत्या 27 सितम्बर, 1989 को कर दी गई थी ? क्या भैय्यादीन की पत्नी रमदेइया ने जिला अधिकारी, बांदा को 19 मार्च, 1990 को अपने उत्पीड़ित प्रताड़ित परिवार की सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता हेतु मांग की थी ? यदि हां, तो पीड़ित परिवार को अभी तक आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गई ? आर्थिक सहायता कब तक दे दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

81—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[5वें सोम में अता0 प्र0 सं0 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद शाहजहांपुर की नगरपालिका के तिलहर निवासियों द्वारा पेयजल समस्या के निदान हेतु मा0 नगर विकास मंत्री से जनरेटर की मांग विषयक पत्र

82—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की नगर-पालिका तिलहर के निवासियों ने दिनांक 27 फरवरी, 1990 को मंत्री जी से लिखित रूप से मांग की थी कि जलकल विभाग नगरपालिका तिलहर में पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए जनरेटर सेट उपलब्ध कराया जाए ? क्या मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद आज तक जेनरेटर उपलब्ध नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

दिनांक 27 फरवरी, 1990 को मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

नगरपालिका किरतपुर, बिजनौर, नगीना, टाउन एरिया, मझडावर को पिछले डेढ़ वर्ष की अवधि में सरकार से प्राप्त अनुदान तथा उसके खर्च की जानकारी

83--श्री सुखवीर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका कीरतपुर, बिजनौर नगीना, टाउन एरिया मंझडावर को पिछले डेढ़ वर्ष की अवधि में किस-किस मद की सहायता सरकार द्वारा दी गई है और वह सहायता क्या उसी मद में खर्च हुई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

(1) नगरपालिका कीरतपुर को डेढ़ वर्ष की अवधि में सड़क/नाली के निर्माण हेतु रु0 5,95,000 का अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका उपयोग उसी मद में किया जा रहा है ।

(2) नगरपालिका बिजनौर को उक्त अवधि में सड़क/नाली के निर्माण हेतु रुपये 25,80,000, मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु रु0 46,000, सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु रुपये 2,50,000, मार्ग प्रकाश हेतु रु0 50,000 एवं सीवरेज ड्रेनेज हेतु रु0 2,75,000 का अनुदान स्वीकृत किया गया । इन सभी अनुदानों का उपयोग उसी मद में किया जा रहा है, जिसके लिए अनुदान दिया गया है ।

(3) नगरपालिका नगीना को उक्त अवधि में सड़क/नाली के निर्माण हेतु रुपये 15,90,000 का अनुदान स्वीकृत किया गया । इस धनराशि का उपयोग उक्त मद में नहीं किया गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार समस्त अनुदान कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर व्यय कर दी गयी है । इसी पालिका को भंगी मुक्ति योजना (लो कास्ट सेनिटेशन) के अन्तर्गत रुपये 2,43,206 का अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसका उपयोग इसी मद में किया जा चुका है । उक्त मद में ही रुपये 11,34,000 का अनुदान पुनः शासन द्वारा स्वीकृत किया गया, परन्तु उक्त अनुदान का ऋण अभी तक प्राप्त न हो सकने के कारण उसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है ।

(4) टाउन एरियर मंझडावर में उक्त अवधि में रुपये 3,10,000 का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसका पूर्ण उपयोग इसी मद में किया जा चुका है ।

कारणों को जानकारी की जा रही है ।

अम्बेडकर छात्रावास, चंदौसी (मुरादाबाद) को पिछले पांच वर्षों में दी गई धनराशि तथा उसके उपयोग की जानकारी

84--श्री करन सिंह--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर छात्रावास, चंदौसी (मुरादाबाद) में पिछले पांच वर्षों में कितनी धनराशि रखरखाव पर दी गई है और उस राशि का उपयोग किन-किन मदों पर किया गया ? क्या इस

छात्रावास की सज्जा पर उपलब्ध व्यय राशि का कोई अभिलेख उपलब्ध है ? यदि हां तो क्या उसकी सूची प्रस्तुत की जायगी ?

श्री अवधेश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत घुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण की स्वीकृति तथा शासन द्वारा प्राप्त धनराशि के व्यय की जानकारी

85—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत घुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब दी गई है और इस कालेज का निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है ? इसलिए शासन द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी, पौड़ी के प्रारम्भिक कार्य (स्थल विकास) के लिये वित्तीय वर्ष 1988-89 एवं पेयजल योजना महिला छात्रावास तथा वर्कशाप भवन के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1989-90 में दी गयी है । निर्माण कार्यों को जुलाई, 1992 तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है ।

निर्माण कार्यों के मूल आगणनों में से महिला छात्रावास, वर्कशाप भवन तथा पेयजल योजना हेतु प्रत्येक के लिये 50-50 लाख रुपया तथा प्रारम्भिक कार्य (स्थल विकास) हेतु रु0 67.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है । केवल स्थल विकास कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि में से दिनांक 31 मई, 1990 तक 43.89 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी है ।

जनपद पौढ़ी गड़वाल के स्थान देव प्रयाग में गंगा नदी पर मोटरीम पुल के निर्माण की योजना तथा शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय इत्यादि की जानकारी

86--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपन पौढ़ी गढ़वाल के स्थान देव प्रयाग में गंगा नदी पर मोटरीम पुल निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब दी गई थी और इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ? अब तक इस पुल के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गई है ? पुल निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है ? इस पुल के निर्माण में विलम्ब के कारण क्या है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रमायुक्त, आगरा कार्यालय में नियुक्त लिपिक श्री बाबू राम शर्मा द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान का बिल बनाने में कर्मचारियों से सौ-सौ रुपये की मांग विषयक शिकायती-पत्र एवं जांच

87--श्री जय सिंह यादव--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त, आगरा के कार्यालय में नियुक्त लिपिक श्री बाबू राम शर्मा ने पुनरीक्षित वेतनमानों के एरियर बिल बनाने के नाम पर कर्मचारियों से सौ-सौ रुपये की मांग की थी और रुपये न देने पर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया जिसके विरोध में राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के कर्मचारियों ने संयुक्त हस्ताक्षरों से कोई शिकायती पत्र दिनांक 21 मार्च, 1990 को उप श्रमायुक्त, आगरा को लिखा था ? यदि हां, तो श्री बाबू राम शर्मा के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या एरियर का भुगतान कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

श्री बाबूराम शर्मा, लिपिक के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 21 मार्च, 1990 उप श्रमायुक्त, आगरा को प्राप्त हुआ जो जांचोपरान्त आधारहीन पाया गया। अतः श्री शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। कुछ कर्मचारियों के एरियर का भुगतान हो चुका है। शेष को भुगतान करने की कार्यवाही चल रही है।

88--डाक्टर विनेश चौधरी--

[4थे मंगल में अता० प्र० सं० 282 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

89--डाक्टर विनेश जौहरी--

[5वें शुक्र में अता० प्र० सं० 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगर पालिका, नवाबगंज (बाराबंकी) में की गयी 8 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को निरस्त करने हेतु प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

90--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, नवाबगंज (बाराबंकी) में की गयी 8 सफाई कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इन अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, बाराबंकी ने कोई आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो क्या उस आदेश पर अमल बरामद कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां।

जांच कराई जा रही है।

जी हां।

जी नहीं, जिलाधिकारी, बाराबंकी की नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने विषयक कथित आदेश देने का अधिकार नहीं है ।

अमीनाबाद स्थित राजकीय निराश्रित कर्मशाला (महिला), लखनऊ में कार्यरत श्रीमती विमला, सक्सेना पर्यवेक्षक के स्थानान्तरण किये जाने की मांग

91—कुंवर अरुण तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि अमीनाबाद स्थित राजकीय निराश्रित कर्मशाला (महिला), लखनऊ में श्रीमती विमला सक्सेना, सुपरवाइजर के पद पर लगभग 16 वर्ष से कार्यरत है ? स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? इनका स्थानान्तरण वहां से कब तक कर दिया जायेगा ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में स्थानान्तरण सम्बन्धी शासन की क्या नीति है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्रीमती विमला सक्सेना, राजकीय निराश्रित कर्मशाला (महिला), लखनऊ में सुपरवाइजर के पद पर नहीं बल्कि कर्मशाला पर्यवेक्षक के पद दिनांक 2 जून, 1979 से कार्यरत रही हैं । श्रीमती सक्सेना का स्थानान्तरण कर्मशाला पर्यवेक्षक के पद पर बनारस कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन की सामान्य नीति यह है कि किसी भी कर्मचारी को एक स्थान पर सामान्यतः तीन वर्ष तक रखा जा सकता है ।

गढ़वाल एवं कुमायूं विकास निगमों के संचालन बोर्ड के पुनर्गठन पर शासन की नीति

92—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं कुमायूं विकास निगमों के संचालन बोर्ड के पुनर्गठन पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुआंठा—

जी नहीं ।

दोनों संचालक मण्डल गठित हैं अतएव पुनर्गठन का प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका गाजीपुर में सीवर लाइन बनाने की योजना

93—श्री खुर्शीद—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, गाजीपुर में सीवर लाइन बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

गाजीपुर नगर पालिका में सेवर लाईन बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद गाजीपुर में वर्ष 1990–91 में पेयजल हेतु तथा सूखा राहत योजना हेतु आवंटित धन

94—श्री खुशीद—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद को पेयजल योजना एवं सूखा राहत योजना के तहत वर्ष 1990–91 में कितने धन की व्यवस्था की गयी है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

वर्ष 1990–91 में जनपद गाजीपुर में पेयजल हेतु सामान्य कार्य-क्रम में 119 लाख रु० धन का आवंटन प्रस्तावित है तथा सूखा राहत के अन्तर्गत 12·50 लाख रु० अलग से दिया गया है ।

नगर पालिका, गाजीपुर क्षेत्र में सहकारी भूमि पर सन् 1987 से बने अवैध धर्मस्थलों की जानकारी

95—श्री खुशीद

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका गाजीपुर क्षेत्र की सरकारी भूमि पर सन् 1947 के बाद से अब तक अवैध ढंग से कितने धर्म स्थलों का निर्माण कराया गया ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रश्न अस्पष्ट है । उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

बरेली महानगर के प्रमुख चौराहों के यातायात सुविधा हेतु ट्रैफिक सिगनल कन्ट्रोल की स्थापना हेतु 23·18 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति की जानकारी

96—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली महानगर के प्रमुख चौराहों के मुख चौराहों के सुधार एवं यातायात सुविधा हेतु ट्रैफिक सिगनल कन्ट्रोल की स्थापना के लिए 23·18 लाख रुपये की कोई योजना नगर महापालिका ने पत वर्ष बनाकर भेजी है और सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस योजना की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97---डाक्टर विनेश जौहरी---

[दिनांक 19 जून, 1990 को अता० प्र० सं० 158 द्वारा उत्तरित]

हरिजन समाज कल्याण में राजकीय संरक्षण गृह में संचालित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने की मांग

98---श्री राजकिशोर सिंह---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 4621/26-2-88/41 ए० क्यू०/83, दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थानों के अन्तर्गत औद्योगिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान को पुनरीक्षित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसी के अनुरूप समाज कल्याण में राजकीय संरक्षण गृह में संचालित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद---

जी हां ।

जी नहीं ।

दिनांक 1 फरवरी, 1988 को विभाग द्वारा अनुदानित प्रश्नगत केन्द्र के कर्मचारियों के अल्प वेतन को बढ़ाकर नियत वेतन स्वीकृत किया जा चुका है । अतः इन कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत भदोही नगर पालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी हेतु योजना की स्वीकृति

99---श्री राज किशोर सिंह---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत भदोही नगर पालिका क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी हेतु कितनी धनराशि की योजना स्वीकृत हुई थी ? क्या योजना का कार्य पूरा हो गया और क्या गन्दे पानी की निकासी की समस्या का निराकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

नगर पालिका, भदोही की गन्दे पानी की निकासी की कोई योजना शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है ।

जब योजना स्वीकृत हो नहीं हुई है, तो कार्य पूरा होने का प्रश्न ही नहीं है ।

आय-व्ययक में इस हेतु कोई प्राविधान न होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में बिलरियागंज ब्लाक में 232 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति

100—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद में बिलरियागंज ब्लाक के कितने व्यक्ति वृद्धावस्था पेन्शन प्राप्त करने के पात्र हैं ? इनमें से कितने व्यक्तियों को 1 मई, 1990 को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है ? क्या उक्त जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । यदि हां, तो सरकार की पेंशन नीति को क्रियान्वयन करने का आधार क्या है ?

श्री मोहम्मद अजम खां—

आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लाक में 9 जून, 1990 तक कुल 232 व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन पाने के पात्र पाये गये । इन सभी को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है । दिनांक 1 मई, 1990 विशेष को किसी को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पिथौरागढ़ में राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट के भवन को पक्का कराये जाने तथा अपना भवन बनाये जाने की मांग

101—श्री महेन्द्र सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 में 5 मार्च, 1990 को प्रश्न सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट, जिला पिथौरागढ़ 10 वर्षों से किराये के मकान में चल रहा है ? क्या उसी भवन के छत के नीचे किराये में तीन अन्य परिवार भी निवास करते हैं ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय का भवन पक्का बन जाने तक सरकार महाविद्यालय के टिनशेड बनाने हेतु अनुदान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां ।

जी हां । किराये के भवन स्वामी के अधिकार में है । केवल भवन का प्रथम तल तथा द्वितीय तल किराये पर इस महाविद्यालय के लिए दिया गया है ।

जी नहीं ।

टिन शेड की अधिशासित पक्का भवन उपयुक्त होगा ।

जनपद वाराणसी स्थित भेलूपुर का हाता रोहिला मोहल्ले में पशुवधशाला को बन्द किये जाने विषयक वाद का सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जाना

102—श्री अमर नाथ यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु वधशाला में पशु वध के पूर्व पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या वाराणसी में स्थित वधशाला (भेलूपुर का हाता रोहिला मोहल्ले में) पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

जी नहीं ।

नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा प्रश्नगत पशु वधशाला को लाईसेन्स नहीं प्रदान किया गया है तथा नगर महापालिका द्वारा उक्त पशु वधशाला को बन्द कराये जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद दाखिल किया गया है, जो अन्तिम बहस हेतु लम्बित है ।

जनपद अल्मोड़ा में भैरवलाल के विकास खंड सल्ट, तहसील भिकियासैंड के कन्या प्राइमरी विद्यालय के रिक्त भवन में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

103—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भैरवलाल में विकास खण्ड सल्ट, तहसील भिकियासैंड, जनपद अल्मोड़ा में कन्या प्राइमरी विद्यालय का भवन खाली पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन का उपयोग करने के लिए कन्या माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां ।

जी नहीं ?

प्रश्न नहीं उठता ।

भैरवलाल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है ।

जय प्रकाश नगर एवं आजाद नगर, दक्षिण आलमबाग, लखनऊ में जल निकासी हेतु योजना की मांग

104—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय प्रकाश नगर एवं आजाद नगर दक्षिण आलमबाग, लखनऊ में जल निकासी हेतु कोई योजना विगत वर्षों से बनी थी और लगभग तीन वर्ष पूर्व श्री हरी नारायण सक्सेना के मकान के पास मुख्य सड़क में कुछ पाइप डाले गये थे जो आज भी जमीन के अन्दर पड़े हुए हैं किन्तु अभी तक कार्य नहीं प्रारम्भ

हुआ है ? यदि हां, तो कार्य के पूरा न किये जाने के क्या कारण है ? क्या उक्त ड्रेनेज का कार्य शीघ्र कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रश्न में उल्लिखित मुहल्लों में जल निकासी हेतु कोई पाईप नहीं डाला गया है । जब योजना ही नहीं बनी तो कार्य पूरा कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । उपयुक्त के अनुसार ।

चारबाग, लखनऊ में बस स्टैण्ड पर टैम्पो चालक यूनियन को प्रदत्त जमीन के अवैध कब्जे की जांच

105—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ स्थित चारबाग बस स्टैण्ड पर टैम्पो चालक यूनियन को जो जमीन दी गई थी उसके चारों ओर दुकानें बनी हुई हैं तथा किराये पर उठी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त अनधिकृत दुकानों को तुरन्त हटाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रश्नगत मामले में टैम्पो यूनियन को नोटिस देने पर यूनियन के पदाधिकारियों ने सूचित किया है कि उक्त दुकानें उनके यूनियन के सदस्यों के लिए हैं । इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है । जांच पूरी हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

गोरखपुर व खलीलाबाद स्थित सधन हथकरघा विकास निगम के कारखाने में कार्यरत बुनकरों को स्थाई और नियमित मजदूरों का लाभ दिया जाना

106—श्री गनपति सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर व खलीलाबाद स्थित सघन हथकरघा विकास निगम के कारखानों में कार्यरत बुनकरों एवं मजदूरों में से कितने लोगों को श्रम न्यायालय द्वारा स्थायी एवं नियमित घोषित किया जा चुका है ? क्या उन्हें स्थायी और नियमित मजदूरों का लाभ दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां —

श्रम न्यायालय, गोरखपुर द्वारा 51 श्रमिकों को स्थायी घोषित करने और उन्हें स्थायी श्रमिकों का हित लाभ दिये जाने का अभिनिर्णय दिया गया था । उस एवार्ड में यह भी कहा गया है कि यदि जिस अस्थायी स्कीम के अन्तर्गत हित लाभ पाने वाले उक्त 51 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वह स्कीम समाप्त हो जाती है, उन्हीं से ही पृथक किया जा सकता है । अभिनिर्णय से सम्बन्धित 51 श्रमिकों में से निगम में 48 श्रमिक कार्यरत हैं । उन्हें स्थायी/नियमित श्रमिकों का हित लाभ दिया जा रहा है ।

यहियागंज वार्ड के मुहल्ला बागमक्का, लखनऊ की आम रास्ता बन्द किये जाने पर श्री गोपाल दास यादव तथा श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, स0 वि0 स0 के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107—श्री अमर मणि—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला बागमक्का, यहियागंज वार्ड, लखनऊ की बरसों पुरानी में रास्ता बन्द किये जाने के सम्बन्ध में अक्टूबर, 1987 में

श्री गोपाल दास यादव का पत्र तथा जनवरी, 1988 में श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, स० वि० सभ का पत्र मुहल्ला निवासियों के प्रार्थना-पत्र के सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1960 से लखनऊ नगर के विस्तार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित गावों के विकास के लिए उठाये गये कदम

108—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1960 से लखनऊ नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं उनके विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

लखनऊ नगर महापालिका की सीमावृद्धि के फलस्वरूप 1959 में सम्मिलित हुये अधिकांश ग्रामों में मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सड़क, खड़ंजा, नाली निर्माण आदि के कार्य कराये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर महापालिका, लखनऊ में वर्कचार्ज के रूप में मेट के पद पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन भुगतान न किये जाने विषयक श्री पंचानन राय, स० वि० स० के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

109--श्री असगर अली--

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे नगर महापालिका, लखनऊ में वर्कचार्ज के रूप में मेट के पद पर कार्य करने के उपरान्त वेतन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचानन राय, एम० एल० ए० का पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

उक्त पत्र के आधार पर अभिलेखों का निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार श्री सईद मोहम्मद अंसारी ने दिनांक 20 अप्रैल, 1987 से 15 जून, 1987 तक तथा दिनांक 15 सितम्बर, 1987 से 30 नवम्बर, 1987 तक कार्य नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद, उप श्रमायुक्त द्वारा भर्ती पर प्रतिबन्ध विषयक आदेशों की कथित अवहेलना करके आरक्षित पद पर नियुक्ति किया जाना

110—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 को सभी जिलाधिकारियों को तार भेजकर सभी विभागाध्यक्षों से कार्यालय स्टाफ की स्थिति की जानकारी मांगी थी और केवल अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया था ? यदि हां, तो क्या उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद ने उक्त आदेशों की अवहेलना करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित फार्मेसिस्ट होम्योपैथिक के पद पर दिनांक 9 जनवरी, 1990 को श्री राजेश कुमार तिवारी को नियुक्त कर ली है ? यदि हां, तो उक्त श्रमायुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रम विभाग कर्मचारी संघ, गाजियाबाद इकाई एवं श्रमायुक्त, श्री के0 एन0 द्विवेदी के बीच कुछ मांगों के सम्बन्ध में समझौता

111—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25 जनवरी, 1989 को श्रम विभाग कर्मचारी संघ, गाजियाबाद इकाई तथा उप श्रमायुक्त, श्री के0 एन0 द्विवेदी के मध्य कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते के अनुसार कर्मचारी संघ की किन-किन मांगों को पूरा किया गया है और किन-किन मांगों पर अभी तक विचार नहीं हुआ है और क्यों ? कब तक पूर्ण समझौते को लागू कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सोनभद्र जनपद में हिन्डालको, कनोरिया, रेनुपावर क0 और हाईटेक कार्बन प्लान्ट में कार्यरत मजदूरों की संख्या तथा उनके हितों की रक्षा की जानकारी

112—श्री विजय सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद में हिन्डालको, कनोरिया, रेनुपावर कम्पनी और हाईटेक कार्बन प्लान्ट में कितने मजदूर कार्य करते हैं ? उन मजदूरों के कल्याण व हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सोनभद्र जनपद के हिन्डालको, कनोरिया, रेनुपावर कम्पनी और हाईटेक कार्बन प्लान्ट में कुल 11,772 मजदूर कार्यरत हैं । श्रम विभाग द्वारा हिन्डालको, कनोरिया तथा मेसर्स हाईटेक कार्बन में कार्यरत श्रमिकों को श्रम कल्याण केन्द्र के माध्यम से वाचनालय, पुस्तकालय, एलोपैथिक चिकित्सालय, सिलाई, कढ़ाई आदि की सुविधा उपलब्ध

कराई जा रही है । इसके अतिरिक्त संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रेनुकूट एवं कनोरिया में राज्य कर्मचारी बीमा का औषधालय स्थापित है जिसकी सुविधा भी इन श्रमिकों को प्राप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

आगरा में विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत ग्राम महुआ खेड़ा में पानी की टंकी लगाये जाने की मांग

113--श्री विजय सिंह राणा तथा श्री बहादुर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत ग्राम महुआ खेड़ा पर पानी की टंकी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शासन ने क्या निर्णय लिया ? टंकी का निर्माण कब प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

ग्राम महुआ खेड़ा में पानी की टंकी के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान नीति के अनुसार पाइप टंकी के द्वारा जलापूर्ति उन्हीं ग्रामों में प्रस्तावित की जाती है जहां हैण्ड पम्प सफल नहीं हैं अथवा उनका जल पीने योग्य नहीं है । इस ग्राम को 4 हैण्ड पम्प द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है जिनका पानी मीठा है तथा 2 हैण्ड पम्प प्रस्तावित हैं ।

जनपद झांसी में जल निगम की यांत्रिक शाखा द्वारा नलकूप लगाये जाने की योजना तथा उस पर व्यय किया गया धन

114--श्री रवीन्द्र शुक्ला--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में जल निगम की यांत्रिक शाखा द्वारा झांसी जिले में विगत 3 वर्षों में कितने नलकूप लगाये गये तथा इनमें से कितने नलकूप असफल घोषित किये गये ? असफल घोषित नलकूपों पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या इस अपव्यय के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

पिछले तीन वर्षों में जनपद झांसी में नलकूप लगाने हेतु 18 स्थानों पर छिद्रण किया गया जिनमें सात स्थानों पर छिद्रण असफल रहा ।

असफल घोषित नलकूपों पर 0·90 लाख रु0 व्यय हुआ ।

छिद्रण कराने से पूर्व रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर की संस्तुति प्राप्त कर ली गई थी । असफल छिद्रण का कारण उचित वाटर वियरिंग स्ट्रेटा न मिलना है । अतः असफल छिद्रण हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

श्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में शासन के विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी

115--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में अलग-अलग श्रेणी के कितने पद हैं और उसमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

शासन के विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत उक्त समय में कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को नियुक्त की गयी हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका फतेहपुर सीकरी (आगरा) द्वारा सुलभ शौचालय निर्माण हेतु ठेकेदार को दिये गये अग्रिम के बावजूद कार्य प्रारम्भ न करने का कारण

116--श्री किशन गोपाल--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी में है कि अक्टूबर, 1989 माह में एक लाख रुपया की धनराशि नगरपालिका फतेहपुर सीकरी (आगरा) ने सुलभ शौचालय निर्माण हेतु ठेकेदार को अग्रिम रूप में दिया किन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? शौचालय कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी हां ।

नगर पालिका फतेहपुर सीकरी (आगरा) ने 27 अक्टूबर, 1989 में एक लाख रुपया की धनराशि अखिल भारतीय रचनात्मक कार्य संस्थान को सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु अग्रिम के रूप में दिया । सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य 5 जून, 1990 से प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है । सुलभ शौचालय का निर्माण लगभग एक माह में पूर्ण हो जायेगा ।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा निर्माण कार्य के भुगतान के बाद अधूरी पड़ी सड़कों का विवरण

117--श्री राम कुमार शुक्ल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनके निर्माण कार्य का भुगतान भी हो चुका है परन्तु वह या तो अधूरी पड़ी हैं या बनी नहीं हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा ऐसी किसी सड़क का भुगतान नहीं किया गया है, जो अधूरी हो अथवा न बनी हो ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण कार्य

118--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कौन-कौन से मोटर मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत हैं जिनका निर्माण अभी

तक पूर्ण नहीं किया गया है ? इन मार्गों को स्वीकृत शासन द्वारा कब दी गयी और प्रत्येक मार्ग की स्वीकृत लम्बाई क्या है ? इसके निर्माण में विलम्ब होने के कारण क्या है और कब तक स्वीकृत मार्गों का निर्माण पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत शासन द्वारा 36 मोटर मार्ग स्वीकृत हैं परन्तु संलग्न तालिका के कालम-5 में दर्शाये गये विभिन्न कारणों से इन पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ अथवा पूर्ण नहीं हुआ है वांछित सूचना †संलग्न तालिका में दर्शायी गयी है ।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उन्नाव जिले की सभी नगर क्षेत्र समितियों, नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के टेण्डर पास न करने का कारण तथा दोषी को दण्डित करने की मांग

119--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उन्नाव जिले की सभी नगर क्षेत्र समितियों, नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के टेण्डर न पास करने के कारण और 30 मार्च, 1990 को पास करने के कारण राजकीय अनुदान के प्रयोग करने में कठिनाइयां आयी हैं ? क्या यह सच है कि उन्नाव नगरपालिका की माह मार्च, 1990 की बैठक में जिलाधिकारी के इस आचरण पर रोष व्यक्त किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दोषी को दण्डित कराने की क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

जी नहीं ।

जी हां ।

रोष के आधार पर किसी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण आगरा मण्डल द्वारा विगत वर्षों में किये गय पद का दुरुपयोग तथा उप निदेशक पद पर नियुक्ति का औचित्य

120—श्री भोपाल सिंह, श्री रामरती बिन्द तथा श्री ऐदल सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान उप निदेशक, आगरा मण्डल जब वर्ष 1984-85 में जनपद सुल्तानपुर में प्रोग्राम अधिकारी थे तो उनके विरुद्ध लगभग पांच लाख रुपये की खरीद (चना एवं स्टोव आदि) में गड़बड़ी में दोषी पाये गये थे, इसी कारण वर्ष 1987-88 में इनको प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गयी थी तथा वर्ष 1986 से जनवरी, 1990 तक इनको मुख्यालय में सम्बद्ध रखा गया था ? यदि हां, तो उन्हे उप निदेशक के पद पर नियुक्त किये जाने का क्या औचित्य है ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अवधेश प्रसाद--

प्रश्नगत अधिकारी को शासनादेश संख्या 322/26-सेल-86, दिनांक 13 फरवरी, 1986 के अधीन सुल्तानपुर से प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कर हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ में सम्बद्ध किया गया था तथा शासनादेश संख्या 3147/26-1-87-4(47)/87, दिनांक 17 सितम्बर, 1987 द्वारा वर्ष 1987-88 की चरित्र पंजिका में जनपद सुल्तानपुर में संचालित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अधीन 1984-85 स्टोव, केरोसेन आदि सामग्री की खरीदारी में अनियमितता एवं लापरवाही करने हेतु भर्त्सना/प्रतिकूल प्रविष्टि व चेतावनी का दण्ड दिया गया था। जनवरी, 1990 में इनको तैनाती उपनिदेशक के पद पर आगरा मण्डल में की गयी।

प्रश्नगत अधिकारी को नियमित प्रोन्नति उपनिदेशक के पद पर अभी नहीं की गयी है और चूंकि नियमावली के अभाव में व ज्येष्ठता निर्धारण के अभाव में नियमित प्रोन्नति नहीं की जा सकती है, अतः शासकीय एवं विभागीय कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से जनवरी, 1990 में उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक के पांच-पांच पदों पर निम्न सम्वर्ग से वरिष्ठ अधिकारियों की काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में पूर्णरूप से अनन्तिम एवं अस्थायी व्यवस्था के आधार पर स्थानापन्न नियुक्ति इस शर्त के साथ की गयी कि यह बिना किसी नोटिस के कभी भी समाप्त की जा सकती है। प्रश्नगत अधिकारी भी इसमें शामिल हैं।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव, घोषी व दोहरीघाट के गावों में लगाये गये हैण्ड पम्पों का वितरण

121--श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव, घोषी दोहरीघाट के किन-किन गांवों में कितने-कितने जल निगम के हैण्ड पम्प लगे हैं तथा किन-किन गांवों में अभी बाकी हैं ? शेष गांवों में कब तक लगा दिए जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

ग्रामों के नाम एवं उनमें दिनांक 31 मई, 1990 तक अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों की संख्या संलग्न सूची "अ"† में दर्शायी गयी है। 399 ग्राम में 869 हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं।

31 मई, 1990 तक जिन 75 ग्रामों में हैण्ड पम्प अधिष्ठापित नहीं हुए हैं उनके नाम संलग्न सूची "ब" में दर्शाये गये हैं।

सूची "ब"† के क्रमांक-1 से 61 तक के 61 ग्राम पाईप लाइन से लाभान्वित हैं। इसी सूची के क्रमांक-62 से 75 तक के 14 ग्रामों में वर्ष 1990-91 में हैण्ड पम्प लगना प्रस्तावित है।

---

†छापी नहीं गयी।

मजनऊ में, जियामऊ मांटिन पुरवा, बालू का अड्डा, एकलव्य नगर, गुरू रविदास नगर आदि क्षेत्रों में सड़कों गलियों व नालियों की मरम्मत तथा सफाई एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था

122—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि 13 दिसम्बर, 1989 को उन्होंने लखनऊ में जियामऊ मांटिन पुरवा, बालू अड्डा, एकलव्य नगर, गुरू रविदास नगर आदि क्षेत्रों में दौरा किया था ? यदि हां, तो वहां के निवासियों ने उन्हे क्या मुख्य समस्याएं बतायी थी ? क्या मंत्री जी इन क्षेत्रों में पांच हैण्ड पम्प लगाने, प्रकाश, सफाई तथा सड़के बनवाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सभी पूर्ण हो गये है ? यदि नहीं, तो कब तक यह सभी कार्य पूर्ण हो जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

वहां के निवासियों ने सड़को गलियों व नालियों की मरम्मत तथा सफाई एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था को समस्या बताई थी ।

जियामऊ मांटिन पुरवा, तथा बालू अड्डा में दो-दो हैण्ड पम्प लगाये जा चुके है । अन्य दो स्थानों पर भी हैण्ड पाइप लगाने की कार्यवाही की जा रही है । उक्त क्षेत्र में लगे हुये मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को ठीक करा दिया गया है । अन्य कुछ स्थानों में नये मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को लगाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है । जियामऊ एवं मांटिन पुरवा में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गयी है । गली, सड़क आदि के सुधार/निर्माण के कार्य कराये जा रहे है ।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में निराश्रित विधवाओं के प्रार्थना-पत्र संख्या तथा उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान दिया जाना

123—पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में कितने निराश्रित विधवाओं को 3 मार्च, 1990 को पेंशन मिल रही थी ? उस तहसील के कितने आवेदन-पत्र उक्त तिथि को जिला कार्यालय में लम्बित थे जिन्हें पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है ? उन्हें पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में 999 निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान 3 मार्च, 1990 को मिल रहा था ।

उक्त तिथि को सगड़ी तहसील का कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड मुख्यालय उखीमठ में 22 बेड के हास्पिटल के निर्माण स्थल की भूमि निको द्वारा जांच

123—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड मुख्यालय उखीमठ में 22 बेड के हास्पिटल भवन के निर्माण पर लाखों रुपया

व्यय करने के पश्चात् भूगर्भ सर्वेक्षण करवाया गया तथा निर्माण कार्य बन्द करवाया गया है, जबकि भूगर्भ सर्वेक्षण कार्य भवण निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व होना चाहिये था ? यदि हां, तो पुनः कार्य प्रारम्भ होगा या नहीं ? यदि होगा, तो कब तक ?

श्री बरफिया लाल जुवाल--

जी हां । प्रश्नगत निर्माण स्थल की जांच भूवैज्ञानिकों द्वारा बाद की करायी गयी और उनकी संस्तुतियों के अनुसार निर्माण में संशोधन करने के उपरान्त नई निविदायें प्राप्त कर ली गयी है । आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को आगरा के पनवारी ग्राम में प्रवेश न करने देने तथा पत्रकारों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना जारी

(विरोध पक्ष में कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर घोर व्यवधान करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और अपना समय नष्ट न करें । कृपया बैठ जायें ।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी ।

11 बजकर 18 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष सदन का स्थगन 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

11 बजकर 33 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक और बढ़ा दिया है ।

12 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही

(कुछ सदस्य दैनिक समाचार पत्र "आज" को खड़े होकर दिखाने लगे)

(व्यवधान)

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना--

माननीय, संसदीय जनतंत्र में इस तरह की अशोभनीय और शर्मनाक घटना दोहरायी नहीं जा सकती । "आज" आपने देखा होगा, कि कल पत्रकारों पर निर्मम ढंग से लाठी प्रहार किया गया ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी बद्दा, श्री अमरमणि, श्री शिवदर्शन, श्री मुईद अहमद, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री धरमपाल, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्रीमती प्रेमवती

तिवारी आदि सदन के फ्लोर पर आ गये और सरकार के विरोध में नारे लगाये लगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को 12.30 तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 4 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही साढ़े बारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी ।

12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

(श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपने जैसा सदन में इच्छा व्यक्त की थी, आप जो कुछ भी सूचना देना चाहते हैं, मैं आपको सूचना देने के लिये समय भी दूंगा और शासन को निर्देशित भी करूंगा कि वह स्पष्टीकरण दे । इसके पूर्व यदि आप चाहें तो नियम 301 को मैं पढ़ दूं । यदि आप न चाहें तो मैं न पढ़ूं ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय, पहले ले लें ।

(शोर)

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना--

माननीय, मेरा निवेदन है कि आप इसको पहले ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात आपको अवगत कराना चाहूंगा कि नियम 311 के अन्तर्गत परम्परा के अनुसार, प्रश्न काल में कभी 311 को स्वीकार नहीं किया गया है । आपको इसकी सूचना दे दी गयी थी ।

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना--

माननीय, जो सूचनायें आपने स्वीकार कर ली हैं उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के मुख्यालय पर कार्यरत कतिपय कर्मचारियों के द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । श्री शिव करन सिंह, श्री महेन्द्र सिंह, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, डाक्टर सरजीत सिंह डंग, श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री दीप नारायण, श्री राज किशोर सिंह की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । यह जो 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं इनको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

श्री शिव करन सिंह---

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के मुख्यालय पर कार्यरत कतिपय कर्मचारियों द्वारा शासन की नीतियों को ठेंगा दिखाये जाने सम्बन्धी प्रकरण लाना चाहता हूं ।

मुख्यालय में ओ० ई० सी० में कार्यरत चीनी आपूर्ति, परिवहन ठेकेदारों से बीमा का कार्य देखने वाले ए० जी० तृतीय कर्मचारी द्वारा उन्नाव व लखनऊ में गबन कर अपनी भ्रष्ट आकांक्षाओं के चलते शासन की नीतियों की धज्जियां उड़ाने का प्रकरण सर्वविदित हो चुका है । बिना चीनी आपूर्ति के लाखों के ड्राफ्ट बनवा कर दूसरे सन् 1985-86 में जिलों में भेजने का मामला काफी पुराना हो चुका है । चारबाग के दो ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों से बीमा तथा फर्जी कार्य के जरिये लाखों का गोलमाल तथा जगह-जगह लाखों के गबन कराकर नई सरकार की छवि धूमिल कर जनहित पर वज्रपात किया गया है । उसके द्वारा गिरोह बनाकर चीनी, तेल, कपड़े गबन कराये जा रहे हैं ।

इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि कर्मचारी लगभग सात वर्ष पूर्व नियुक्त होने के समय से उसी अनुभाग में तैनात हैं, जो शासन की स्थानान्तरण नीति के भी विरुद्ध है । इन कर्मचारियों द्वारा अराजक तत्वों से सांठ-गांठ करके निगम बन्द करने की साजिश की जा रही है । अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां करवा रखा है । अन्य कर्मचारियों को डलैकमेल तथा डराया धमकाया जाता है । जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है किसी भी समय कोई घटना घट सकती है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस सेवा से पूर्व वह गोरखपुर में सिपाही था, जो भ्रष्टाचार में निलम्बित कर बरखास्त किया गया है तथा मामला न्यायालय में चल रहा है । तथ्यों को छिपाकर नियुक्ति प्राप्त की ।

अतः मेरी स्पष्ट मांग है कि उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को दण्डित किया जाये ।]

जनपद पिथौरागढ़ के टनकपुर शहर में बिजली संकट दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह--

[मान्यवर, टनकपुर शहर पर्वतीय क्षेत्र एवं जनपद पिथौरागढ़ का प्रवेश द्वार है साथ व्यापारिक मन्डी है । विगत कई माह से इस शहर में विद्युत व्यवस्था अव्यवस्थित है । इसी क्षेत्र के बहुत निकट मां पूर्णगिरी का सुप्रसिद्ध मन्दिर स्थित है एवं कैलाश मानसरोवर को समस्त यात्री पर्वत के प्रथम द्वार से गुजर कर यात्रा करते हैं । इस वर्ष के माह मार्च से मई तक लगभग आठ लाख यात्रियों ने मां पूर्णगिरी के दर्शन किये । टनकपुर शहर पर्वतीय क्षेत्र का अन्तिम रेल हेड होने के कारण हजारों यात्री रोजाना बसों से यात्रा करते हैं और यात्रियों को रात्री विश्राम के लिए बाध्य होना पड़ता है परन्तु बिजली न होने से पर्यटकों एवं वहां की जनता को घोर कष्ट हो रहा है सरकार को इस भयानक स्थिति की जानकारी लगातार दी जा रही है परन्तु सरकार वहां के लोगों एवं जनमानस की लगातार उपेक्षा करती आ रही है जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है । स्थिति बहुत गम्भीर एवं विस्फोटक हो गयी है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय उर्जा मंत्री से विद्युत् संकट दूर करने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद बदायूं में हुये दंगे से पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[मान्यवर, बदायूं नगर में 28 सितम्बर, 1989 को दुर्भाग्य पूर्ण घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप 32 व्यक्तियों की जाने गयीं सैकेड़ों व्यक्ति घायल हुये तथा लगभग एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई । जिसमें 465 लोगों ने आग लगने, क्षति होने के दावे तहसील में किये जिसमें से अब तक 65 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको शासन से कोई मुआवजा नहीं मिला आग से क्षति ग्रस्त दुकानदारों को अभी तक बीमा कम्पनियों से मुआवजा नहीं है, जे0 सी0 पिक्चर पैलेस जो दंगें में पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था, शासन द्वारा उसको भी कोई राहत सरकार ने नहीं पहुंचायी है । इसके अतिरिक्त 1035 लोगों ने तहसील दंगे में अपनी दुकान ठेले, खोमचे आदि पूर्ण रूप से लूट जाने के सम्बन्ध में मुआवजे एवं राहत के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं जिसमें से किसी को भी शासन द्वारा कोई राहत नहीं दी गई जबकि यह गरीब लोग हैं ।

दंगें में 32 व्यक्तियों की जाने गई शासन ने मारे गये व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की थी जिनमें से केवल 12 व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को ही एक-एक लाख रुपया दिया गया है शेष मारे गये व्यक्तियों के उत्तराधिकारी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर उनकी कोई सुनता, शासन ने यहां से रुपया नहीं भेजा है ।

मेरी सरकार से मांग है कि शीघ्र मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को घोषित रकम दें इसके साथ ही दंगें में लूटे गये छोटे दुकानदारों, खोंचे वालों को शीघ्र राहत पहुंचाये जैसे दंगों में लूटने वालों को अन्य जनपदों में दी गई है अब तक किसी को राहत न मिलने के कारण बदायूं में रोष व्याप्त है ।]

जनपद मिर्जापुर में बड़े उद्योग लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा रजीत सिंह डंग—

[मान्यवर, मिर्जापुर जनपद विभाजन के पहले पर्याप्त उद्योग धन्धों उदाहरणार्थ हिण्डालको, चुर्क तथा डाला सिमेन्ट फैक्ट्री, ओबरा विद्युत् उत्पादन केन्द्र इत्यादि स्थित थे । जनपद के विभाजन के पश्चात् उपरोक्त सभी उद्योग कल कारखाने नवनिर्मित जिले सोनभद्र में चले गये ।

परिणामस्वरूप सम्प्रति मिर्जापुर जनपद में एक भी बड़े उद्योग कल कारखाने नहीं हैं । आज मिर्जापुर जनपद पूर्णतया उद्योग शून्य है कि जो जनपद शासन द्वारा, जो जिले पिछड़े हुये और उद्योग शून्य घोषित किये गये हैं । उनसे कहीं अधिक पिछड़ा

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया ।

हुआ और उद्योग विहीन जनपद मिर्जापुर हं । फलस्वरूप मिर्जापुर जिले म भयंकर बेरोजगारी हं ।

अतः में मांग करता हूं कि मिर्जापुर में कुछ बड़े उद्योग राज्य सरकार तथा केन्द्र के सहयोग से तथा राज्य सरकार द्वारा खाद्य कारखाना कीटनाशक औषधियों का कारखाना इत्यादि शीघ्र लगाये जायें ।

में यह भो मांग करता हूं कि मिर्जापुर को शोघ्र उद्योग और पिछड़ा जिला घोषित करके उद्यमियों को मिलने वाली सुविधा भी दी जाय ।]

जनपद मेरठ में पुलिस द्वारा श्री राजेश के लापता होने के मामले में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

[मान्यवर, श्री राजेश उम्र 21 वर्ष स्नातक तक शिक्षित था दिनांक 8 मई, 1989 को उसके बागपत गेट स्थित निवास से उसके दो मित्र उसको शास्त्री नगर एल ब्लाक 1564 पर शादी दावत के लिए ले गये।

लगभग 14 माह हो गये उसका पता नहीं चल रहा है । आज तक वापस नहीं आया हं। उसके पिता शिवलाल ने थाना देहलीगेट मेरठ महानगर में नामजद रिपोर्ट भी उसी दिन दर्ज करा दी पुलिस ने कोई प्रभाव शाली व परिणाममूलक कार्यवाही ही नहीं की हं । अनिश्चित की स्थिति हं।

अतः में नियम 301 के अन्तर्गत सदन को संज्ञान में लाते हुये सरकार से मांग करता हूं कि उसकी तत्काल 1 माह का समय देकर सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जाये। तथा राजेश का पता लगाया जाये । तथा मेरठ पुलिस की इस 14 माह की लापर-वाही के दोषियों की जांच कराकर जिम्मेवारी निश्चित कर कार्यवाही की जाये।]

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर टाउन एरिया में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप नारायण—

[माननीय, में आपकी आज्ञा से एक अति लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

जनपद आजमगढ़ में टाउन एरिया मेहनगर 1979 से स्थापित हं जहां पर आठ नौ साल से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लगातार कार्य करते चले आ रहे हं । जिनकी सेवायें आज तक अस्थायी हं जब कि शासन की नीति के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो 3 साल की सेवा पूरी कर लेता हं उसे स्थायी बनाने का प्रावधान हं परन्तु टाउन एरिया मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के कर्मचारी आज भी तगातार सेवारत होते हुये भी स्थायी नहीं किये जा सके जिनका भविष्य आज भी अन्धेरे में पड़ा हुआ हं । साथ ही साथ इनका वेतन लगभग 15 महीने से बकाया है । वेतन न पाने वाले सभी कर्मचारी काफी दुखी हं । तथा उनका परिवार भूखों मरने जा रहा हं । वेतन के लिये तथा स्थायी सेवा हेतु वे लोग कई बार अनशन भी किये ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि टाउन एरिया मेहनगर के कर्मचारियों का सेवाकाल स्थायी करते हुये उनका बकाया वेतन दिलाने का कष्ट करें ।]

वाराणसी जनपद की आराजी लाइन्स ब्लाक में जी० टी० रोड से बंशीपुर अषाढ़, बहेरवा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह—

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के खण्ड विकास क्षेत्र आराजी लाइन्स अन्तर्गत जी० टी० रोड से जूनियर हाई स्कूल मिर्जामुराद होते हुये बंशीपुर अषाढ़, बहेरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण लम्बे समय से प्रस्तावित है । यह लगभग 5 किमी० लम्बा सम्पर्क मार्ग है, जी० टी० रोड से उपरोक्त गांवों के न जुड़ने से ग्रामीण जनता को नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक गांव से दूसरे गांव के लिय यातायात का भी साधन नहीं है, जिससे विकास के दौड़ में प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग की परिधि में आने वाले पचासों गांव बहुत पीछे हो गये हैं । वास्तव में इन गांवों की विकास की प्रगति अवरुद्ध हो गयी है । ग्रामीण जनता को आने-जाने एवं कृषि उत्पादन के सामानों को बाजारों में ले जाने के लिये बिकट समस्या बनी हुयी है ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के निर्माण न होने से ग्रामीण जनता में असन्तोष व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर सन्दर्भित सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग करता हूं ।]

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 3 से लेकर मद संख्या 10 तक को सदन के पटल पर रखा हुआ एवं पढ़ा हुआ माना जाता है ।

उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियमावली 1990†

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 116/29-2-व०म० 35-75, दिनांक 22 जनवरी, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियमावली, 1990 को बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 72 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1987†

शिक्षा मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 1520/15-6-87-28(4)-1986, दिनांक 12 जून, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

† छापी नहीं गयी एवं सदन के पल पर रखी मानी गयी ।

मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1987 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।]

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-1975/ ग्यारह-90-11(8)-80 यू0 पी0 ऐक्ट 15-48 आदेश संख्या 90, दिनांक 31 मार्च, 1990 †

मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1990 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-1975/ग्यारह-90-11(8)-80-यू0 पी0 ऐक्ट 15-48, आदेश-90, दिनांक 31 मार्च, 1990 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।]

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि0 क0-2-191/ग्यारह-6(9)-83, उत्तर प्रदेश अधिनियम 15-48 आदेश 90, दिनांक 1 फरवरी, 1990†

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

[माननीय में आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 फरवरी, 1990 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि0 क0-2-191/ग्यारह-9(91)-33, उत्तर प्रदेश अधिनियम 15-48 आदेश-90, दिनांक 1 फरवरी, 1990 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।]

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि0 क0-2-192/ग्यारह-6(9)/83, उत्तर प्रदेश, अधिनियम 15-48-आदेश-90, दिनांक 1 फरवरी, 1990†

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 फरवरी, 1990 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि0 क0 2-192/ग्यारह-6(9)-83, उत्तर प्रदेश अधिनियम 15-48-आदेश-90, दिनांक 1 फरवरी, 1990 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1648 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

†छापी नहीं गयी एव सदन के पटल पर रखी गयी मानी गयी ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (दसवां संशोधन) विनियम 1990 †

मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 13-2-90 कार्मिक-1, दिनांक 2 मार्च, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (दसवां संशोधन) विनियम, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के वर्ष 1986-87 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा परिक्षित रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1986-87 †

मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के वर्ष 1986-87 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा परीक्षित रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1986-87 को नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1990

सचिव, विधान सभा--

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1959 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जून, 1990 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 जून, 1990 को वापस प्राप्त हो गया।]

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को आगरा के पनवारी ग्राम में प्रवेश न करने देने तथा पत्रकारों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, कल का दिन संसदीय इतिहास में इतना घिनौना और घटिया दिन रहा है कि आप देखें कि यहां पर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने विचार व्यक्त किया था कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया और संसद में विपक्ष के नेता के सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था की जायगी।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

†छापा नहीं गया एवं सदन के पटल पर रखा माना गया।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद)--

जो हमारे कहा था वह बिल्कुल सही है जितना कहा था वही हो रहा है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

माननीय आप इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं । आप जो नेता हैं उनकी सिरादत और खुराक कितनी है यह आप जानते हैं । माननीय राजीव गांधी सारे बड़े दल का नेता और विपक्ष के नेता हैं ।

(शोर)

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

सारा सदन आपके इस प्रश्न को सुनना चाहता है और शासन के स्पष्टीकरण को सुनना चाहता है । मेरा दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय उप नेता सिरोमो दल और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जो को बोलने दें । आप लोग शान्त रहें ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था--

(व्यवधान)

श्री केदार नाथ सिंह--मान्यवर, एक व्वयस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन और सदन के माध्यम से प्रदेश जो आपने कहा प्रदेश तक संसदीय जनतंत्र में क्या हो रहा है, संसदीय जनतंत्र का किस तरह से गला घोटा जा रहा है, जमहूरियत और जनतंत्र का किस तरह से उपहास हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि अभी कल की घटना है, हमारे दल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के इस देश के नेता माननीय राजीव गांधी जो आगरा गये, वहां पर मान्यवर, इस बात का संज्ञान कराया गया, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में शासन ने कहा था कि मैं पूरी सुरक्षा रखूंगा और वह जहां जाना चाहेंगे, जिन लोगों से मिलना चाहेंगे, उसके लिए उनको पूरी छूट है, लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों के साथ यह सुनिश्चित रहता है, लेकिन उनके साथ यह सुनिश्चित रहता है, लेकिन उनके साथ पत्रकार लोग भी गये थे, हमारे उद्यन शर्मा जो संडे आब्जरवर के सम्वाददाता हैं, वह भी उनके साथ थे । मान्यवर, जब वह गये, तो उनका वहां पर अभूतपूर्व स्वागत हुआ और उससे सरकार को चिन्ता हुई । जिस आगरा मे जनजीवन दुर्लभ हो गया था, जहां पर रोजमर्रा की जिन्दगी दूभर हो गयी थी, वहां के लोगों ने उनका स्वागत भी

किया और जो शंका थी, जो उनके दिल में बंद था, उसका उन्होंने इजहार भी किया। सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहिए था जब वह पनवारा गांव से अकोला गय, तो उन्हें रोका गया। पत्रकारों पर निर्मम ढंग से लाठी चार्ज हुआ, उनको चोटें आई और वह अस्पताल में भर्ती हैं। वह किस हालत में हैं, सरकार इसकी जानकारी दे। आज जहां पर पुलिस का नियंत्रण होना चाहिए, वहां पर पुलिस का नियंत्रण नहीं है।

लखनऊ शहर में दंगा हुआ। लखनऊ शहर में जहां 10 साल से शिया-सुन्नी का दंगा बंद था, वहां दो घंटे तक माइक पर मजलिस का एलान हुआ, लेकिन वहां पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस का कोई अधिकारी नहीं था। भीड़ का वहां पर उन्माद हो रहा था। मान्यवर, पत्रकारों पर लाठी चलाने के लिये पुलिस पर्याप्त है, लेकिन कानून-व्यवस्था के किए कोई पुलिस जिम्मेदार नहीं है। जहां पर शासन बैठा हुआ है, उसकी साया में इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा फसाद हो रहा है, क्यों न हो? [× × ×] लेकिन सरकार अकर्मण्य बन रही है। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि लाठी चार्ज पत्रकारों पर हो रहा है। गाजियाबाद के अन्दर लड़कियां छेड़ी जा रही हैं। वहां पर वर्ग संघर्ष हो रहा है। पुलिस की लाठियां पत्रकारों पर चल रही हैं।

(व्यवधान)

यह सरकार शांति और व्यवस्था के नाम पर शून्य हो गयी है। आज पूरे प्रदेश का शासन जर्जर हो गया है। इस सत्ता में बैठे हुए मुख्य मंत्री जी से और सदन के सारे साथियों से अनुरोध करूंगा कि आज पुलिस के सामने यह शासन बौना हो चुका है। पुलिस का मनोबल आपने इस ढंग से बढ़ा दिया है, लेकिन आज जरूरत है इस पर नियंत्रण करने की, पुलिस को अनुशासित करने की, क्यों पत्रकारों पर लाठी चार्ज न हो। इस सदन के मुख्य मंत्री जी पुरजोर तौर से ललकारते हैं कि आपकी मर्जी जो आये वह कर लीजिए। उन पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। ऐसे में मनोबल बढ़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी भावना का उपहास हो रहा है आपके विचार पर पुलिस का मनोबल बढ़ रहा है।

मान्यवर, पत्रकारों के साथ जोर जुल्म हो रहा है, निर्बल वर्ग के लोगों के साथ जोर जुल्म हो रहा है, नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ जोर जुल्म हो रहा है। मान्यवर, मैंने देखा है, हमारे तमाम प्रतिनिधियों ने कहा है, व्यवधान भी उपस्थित हुआ है, सदन की कार्यवाही में भी व्यवधान आया है। सारे जन प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे सुरक्षा गार्ड हटाये जा रहे हैं। मान्यवर। इनके सुरक्षा गार्ड हटाये रहे हैं लेकिन उनको सुरक्षा गार्ड दिये जा रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सरकार को सहारा देते हैं। मेरा निवेदन है कि इस सदन की कार्यवाही रोकी जाय और इस पर चर्चा करायी जाय। मान्यवर, इससे गम्भीर घटना, आपने कहा, शून्य प्रहर की भी है उन सारी सूचनाओं का मूल्यांकन किया, आज अगर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था टूटेगी, आज अगर इस प्रदेश में कमजोर वर्ग के लोगों की और पत्रकारों की परवाह नहीं करेंगे, आज अगर मुस्लिम बिरादरी के लोग अकलियत के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे (व्यवधान) तो क्या प्रदेश का विकास होगा, आप इसीलिए वित्तीय बजट ले आये हैं, अगर शान्ति व्यवस्था टूटेगी तो विकास का कार्य रुक जायेगा, अगर शान्ति व्यवस्था नहीं रहेगी तो निर्माण का कार्य रुक जायेगा।

नोट—1 [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान) मान्यवर, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा कि आज इस सरकार का किसी पर नियंत्रण नहीं है, पुलिस पर नियंत्रण नहीं है, अधिकारियों पर नियंत्रण नही ह, सारी व्यवस्था पंगु हो गयी है ।

मान्यवर, राजीव गांधी जो हमारे नेता हैं, जिनके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है, उनसे क्षमा याचना करें, पत्रकारों से क्षमा याचना करें । इसलिए मेरा निवेदन है कि आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जाय, चर्चा करवाने की कृपा करें । आपसे मेरा विनम् शब्दों में अनुरोध है कि मुख्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर, अपने काम और खामियों को स्वीकार करें । आप देखें, सरकार को क्या स्थिति है, प्रदेश की जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहें हैं, हरिजन अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, प्रदेश के सारे नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पत्रकार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस पर विचार करें ।

(घोर व्यवधान)

(श्री शैलेन्द्र कुमार खड़े होकर "आज" अखबार दिखाने लगे) कांग्रेस दल के कुछ सदस्य एस0 पी0 और बी0 एम0 को निलम्बित करने की मांग करते हुए तथा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया) ।

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

मैं नियम 56 की सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं । तथा सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी ।)

1 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय––

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (घोर व्यवधान) ।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)––

मान्यवर, ये जो आरोप मा0 अरुण कुमार सिंह मुन्ना, उपनेता, और अन्य मा0 सदस्यों ने लगाए हैं, ये असत्य और निराधार हैं । राजीव गांधी को कहीं–कहीं भी जाने से रोका नहीं गया है व उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया गया है । ये आम चुनाव में जनता द्वारा सत्ता से ठुकराए गये लोग हैं । ये अभी हाल के विधान सभा के चुनावों में भी जनता द्वारा सत्ता से ठुकराए गये हैं । इसलिये ये अपनी खीझ मिटा रहे हैं और सत्ता पाने के लिये मछली की तरह छटपटा रहे हैं । इन्होंने जो कुछ भी कहा है, असत्य है जहां तक पत्रकारों का सम्बन्ध है, पत्रकारों का सम्मान बनाए रखने के लिये यह सरकार वचनबद्ध है । पत्रकारों पर किसी तरह की जुल्म या ज्यादती सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी । किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई कार्यवाही न की गयी है, न की जा रही है । ये जनता द्वारा ठुकराए गये लोग हैं, जो सत्ता पाने के लिये मछली की तरह तड़पड़ा रहे हैं । (घोर व्यवधान) ।

(श्री शत्रु करन सिंह, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री विनोद कुमार चौधरी, श्रीमती सरस्वती तिवारी, श्री अमरमणि, श्री यशपाल एवं अन्य अनेक मा0 सदस्य अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आसन से उठकर सदन के फ्लोर पर आ गये और "शेम" एस० पी० व डी० एम० का विलम्बित करने तथा सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या 87-सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 90-सूचना विभाग

*संसदीय कार्य मंत्री--(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा को आज दिनांक 29 जून, 1990 को कार्य-सूची की मद संख्या 16 की उपमदों (1), (2) और (3) में उल्लिखित अनुदान, जिनका अलग-अलग विवरण निम्नलिखित है ।

(1) 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,19,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(2) 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,13,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(3) 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90--सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,96,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

में, जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त धनराशियां, जिनका कुल योग 16 करोड़ 30 लाख दो हजार रुपये हैं, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधान सभा को आज दिनांक 29 जून, 1990 की कार्यसूची की मद संख्या 16 की उप मदों (1), (2) और (3) में उल्लिखित अनुदान संख्या 44, 87 और 90 के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, जो मांगे सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त धनराशियां, जिनका कुल योग 16 करोड़ 30 लाख दो हजार रुपये हैं, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा ।

(2) यह 4 जून, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में,--

(क) परन्तुक में शब्द "जो सकल संग्रहण क्षमता की चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा ।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1990

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन में लगातार नारे बाजी होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब हम सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 1990 को 1.00 बजे तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद 1 बज कर 10 मिनट पर सोमवार दिनांक 2 जुलाई, 1990 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
29 जून, 1990

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 11 का उत्तर पोछे पृष्ठ 20 पर)

अधिशासी अभियन्ता महोदय,

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के सन्दर्भ में मुझे सादर अवगत कराया है कि ग्राम सभा वेलसदा, विकास खण्ड भदैया में वर्णित हैण्ड पम्प जो इस शाखा द्वारा लगाया गया है वो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर के अधिष्ठापित किया गया है :

(1) तत्कालीन विधायक माननीय श्री शिव नारायण मिश्र द्वारा लिखित दिये गये प्रस्तावित स्थल पर जो कि उस ग्राम के लिये उचित एवं सार्वजनिक हित में है, लगाया गया है ;

(2) कार्यस्थल का अवर अभियन्ता एवं मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया उचित स्थान पर ड्रेनेज को ध्यान में रखते हुये एव हैण्ड पम्प अधिष्ठापन हेतु निर्देशिका में निहित अपने उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुये सार्वजनिक हित में एवं वहां के रहने वालों ग्रामवासियों की सहमति से उचित स्थल का चयन किया गया है;

(3) ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा के अन्तर्गत सदस्यों के अपने टकराव एवं मनमुटाव के दूर रहते हुए अपना प्रस्ताव देने में असमर्थता व्यक्त की ।

अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए एवं माननीय भूतपूर्व विधायक श्री शिवनारायण मिश्रा के लिखने के और जनहित में तथा प्रधानों के प्रस्ताव न होने के फलस्वरूप मी उपरोक्त वर्णित हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किया गया है ।

ए0 के0 वर्मा,
सहायक अभियन्ता ।

1 मार्च, 1990

नत्थी 'ख'

(देखियें अता0 प्र0 सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर का संलग्नक

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	स्वीकृत हैंण्ड पम्पों की संख्या	अधिष्ठापित हैं0 प0 की संख्या	शेष हैंण्ड की संख्या
1	2	3	4	5
1	तरखरी	12	11	1
2	पहाड़पुर	5	4	1
3	चटसरा	5	3	2
4	रोमा	4	4	—
5	वण्डे	6	2	4
6	बछेई	11	11	—
7	गुमाई	10	10	—
8	अनथुआ	12	9	3
9	बुरईमाफी	4	2	2
10	हस्तम	15	15	—
11	अधरोरी	5	5	—
12	तेन्दुही रसूलट	5	5	—
13	खम्हारा	23	23	—
14	गोखिया	17	17	—
15	अमृतपुर खेरवा	4	4	—
16	ऐला	4	2	2
17	दुर्गापुर सोंहाव	8	5	3
18	मुगुस	3	3	—
19	मुरवा	12	11	1
20	हुसैनपुर कला	6	5	1
21	कल्हरा	5	5	—
22	पौण्डरा	4	4	—
23	मंसुरी	9	2	7
24	गिरवां	19	18	1
25	पिथौराबाद	5	3	2

1	2	3	4	5
26	काजीपुर	5	4	1
27	स्योढ़ा शेरपुर	7	6	1
28	निहालपुर	1	1	—
29	खानपुर	5	4	1
30	रायपुर कोलावल	3	2	1
31	जरियारी भानपुर	1	1	—
32	बाँसी	8	7	1
33	देवरार	8	5	3
34	मऊ	4	4	—
35	पनगरा	26	5	21
36	बरुआ स्योडा	5	4	1
37	मोतियारी	26	11	5
38	मुर्दीरामपुर	1	1	—
39	रिसौरा	10	8	2
40	गौरशिवपुर	3	3	—
41	नदवारा	14	11	3
42	नौहाई	16	15	1
43	प्रेमपुर	10	4	6
44	केशरूवा	3	3	—
45	हड़हा	11	11	—
46	कबौली	11	11	—
47	कल्हरा	5	5	—
48	पचोखर	15	15	—
49	सरायजरीद	4	4	—
50	बहेरी	15	12	3
51	गढ़ा	6	3	3
42	तसेनो	15	13	3
53	जसवारा	18	8	10
53	बरकोल कलाँ	6	6	—
55	रंजीतपुर	5	2	1
56	लहुरेटाँ	3	2	1
57	नरसेडा मानपुर	5	5	—

1	2	3	4	5
58	बडेहां मालीजंर	3	3	—
59	मुकेरा	8	5	3
60	पुरारी	13	13	—
61	शहबाजंपुर	3	3	—
62	शहपुर	6	6	—
63	शाहपाटन	8	8	—
64	गुढा कलां	41	44	1
65	कहवारा	5	5	—
66	नौगवां	9	9	—
67	बुलाको पुरवा	3	2	1
68	बरूआ कालींजर	5	5	—
60	बरियारपुर	5	5	—
70	परसहर	8	7	1
71	सिघोटी	6	4	2
72	पडमई	8	6	2
73	पिपरहरी	10	10	—
74	पल्हरी	13	11	2
75	देवली	5	4	1
76	पथरा	7	2	5
77	तेरा बदौसा	14	10	4
78	महोतरा	21	7	14
79	दिखितवारा	8	8	—
80	आऊ	11	11	—
81	थनैल	15	11	4
82	वरहेहण्डा	12	12	—
83	सेमरियाकुशल	10	10	—
84	वसरेहो	7	7	—
85	अतरा खरल	44	44	—
88	नगवारा	8	8	—
87	ओरहा	12	7	5
88	तुरा	24	20	4
89	ऐंचवारा	3	3	—
90	लुधौटा	7	7	—

1	2	3	4	5
91	मेहुटा	14	11	3
92	हडेहम्माफी	19	19	—
93	नदमपुर	4	4	—
94	भुसासी	6	6	—
95	काजीपुर बदौसा	2	1	1
96	भटौरा	2	1	1
97	चकभटौरा	4	4	—
98	दुवेरिया	24	24	—
99	बदौसा	13	13	—
100	तरसुमा	9	5	4
101	बरछा	6	6	—
102	गहवारा	3	3	—
103	चन्दोर	20	14	6
104	बनई	3	3	—
105	पौहार	20	9	11
106	करारी	5	3	2
107	बोरही माफी	6	4	2
108	लिडवा	5	5	—
109	मऊ बदौसा	13	10	3
110	टिटिहरी	10	8	2
111	गोबरिया बुजुर्ग	9	9	—
112	पतंड़ा	6	6	—
113	लुक	6	5	1
114	अंमिलिहा	7	5	2
115	सुविनपुर	7	7	—
116	रौली कल्यानपुर	20	20	—
117	गोण्डा	20	17	3
118	अकवरदुर	11	6	5
119	भर्दया	2	1	1
120	पियार	7	5	2
121	जबरापुर	9	9	—
122	गजपतिपुर कला	2	2	—

1	2	3	4	5
123	गजपतिपुर खुर्द	3	2	1
124	रसिन	33	33	—
125	हुण्डा	1	1	—
126	भगवतपुर	4	2	2
127	खेरिखों	5	3	2
128	बघेलाबारी	10	9	1
129	कोलौता	4	2	2
130	भवानीपुर	3	3	—
131	कन्दौहरा	3	3	—
132	लाभा खटिला	1	1	—
133	कुलसारी	6	6	—
134	मेंहुई	4	3	1
135	कल्तानपुर	8	4	4
136	परसिद्धपुर	5	3	2
137	परतापपूर	3	3	—
138	संग्रामपुर	6	4	2
139	छत्तपुर कलां	1	1	—
140	बरमपुर	1	1	—
141	बम्बरा	2	1	1
142	बरेठा डोडिया	8	3	5
143	हडबामनपूर	19	18	1
144	कुरेहूं	6	4	2
125	किला मटका	1	1	—
146	मोबी	9	6	3
147	विरौना	7	4	3
148	घिहैनी	9	5	4
149	सिधौरा	2	1	1
150	भसौमौ	6	4	2
151	सडा	24	16	8
152	सिजहरो	3	2	1
153	रक्सी	7	7	—
154	पंचमपुर	3	2	1

1	2	3	4	5
155	खजरिया	2	2	--
156	कॅहला	4	4	--
157	खण्डेवरा	3	3	--
153	डडुरा	3	2	1
159	डलैहवा	3	2	1
160	मूडी	4	4	--
161	गोरे मऊ खुर्द	2	1	1
162	गोरे मऊ कलाँ	7	5	3
163	रानीपुर	5	5	--
164	लहौरीं	5	3	--
165	बदौसा सानी	4	4	--
166	पुरानवा लालपुर	8	4	4
167	सोता कालींजर	7	5	2
168	सकतपुर	3	2	1
169	बहादुरपुर कालीपुर	13	9	4
170	पाहीं	4	4	--
171	नसरतपुर	2	1	1
172	गिरधरपुर	3	3	1
173	लाड पहाड़ी	2	1	1
174	मसौनी भरतपुर	7	7	--
175	पहाड़ी माफी	3	3	--
176	राम नगर निस	5	5	--
177	कहार कालिन्जर	13	9	4
178	तरहरी	36	36	1
179	नहरी	18	9	9
180	खलारी	13	5	8
181	नरवा	4	4	--
182	बडेछा	4	4	--
183	चन्दापुर	5	5	--
184	महुरछां	3	3	--
185	पिपरा	6	5	1
186	रनखेरा	8	8	--
187	गोपरा	16	8	8

1	2	3	4	5
188	विल्हरका	8	5	2
189	करतल	26	25	1
190	पंचमपुर गिरवां	11	5	6
191	रेहची	6	6	—
192	गढ़ा खुर्द	3	3	—
193	रामपुर	2	1	1
194	रंगोली भटपुरा	8	6	2
195	[illegible]नय	6	6	—
196	पेंगुरी	14	11	3

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०--16 वि० समा-4-10-1990--813 (पी० डी०) ।